वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2007-08

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

NATIONAL STATISTICAL COMMISSION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2007-08

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

भारत सरकार

नई दिल्ली

National Statistical Commission

Government of India

New Delhi

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

जैसा कि भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 2005 के भारत सरकार के संकल्प (परिशिष्ट-I) के अंतर्गत अपेक्षा की गई है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है ।

यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि की है और साथ ही इसमें आयोग की उन सभी सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो उसने अपने गठन के समय से की हैं ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
नई दिल्ली

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
	संक्षिप्त शब्दों की सूची	1
अध्याय-I	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संरचना	3
अध्याय-II	कार्यकारी सार	4
अध्याय-III	संक्षिप्त इतिहास	5-7
अध्याय-IV	आयोग की कार्यप्रणाली	8-9
अध्याय-V	2006-07 के दौरान रा.सां.आ.द्वारा की गई सिफारिशें	10-23
अध्याय-VI	एनएससी के विचाराधीन विषय	24-28
अध्याय-VII	2007-08 के दौरान रा.सां.आ.द्वारा देखे गए मुद्दे तथा की गई सिफारिशें	29-38
अध्याय-VIII	आयोग के संबंध में हुआ व्यय	39
	आभार	40

CONTENTS

		Page Nos.
	List of Abbreviations	**42**
Chapter-I	**Composition of the National Statistical Commission**	**43**
Chapter-II	**Executive Summary**	**44**
Chapter-III	**Brief History**	**45-48**
Chapter-IV	**Working of the Commission**	**49-50**
Chapter-V	**Recommendations made by the NSC during 2006-07**	**51-68**
Chapter-VI	**Matters under the examination of the NSC**	**69-74**
Chapter-VII	**Issues considered and recommendations made by the NSC during 2007-08**	**75-87**
Chapter-VIII	**Expenditure incurred on the Commission**	**88**
	Acknowledgement	**89**

परिशिष्टों की सूची

सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना हेतु दिनांक 1 जून, 2005 का भारत सरकार का संकल्प	90-94
II.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तों संबंधी दिनांक 8 मई, 2006 की भारत सरकार की अधिसूचना	98-101
III.	12 जुलाई, 2006 से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को गठित करने संबंधी दिनांक 3 जुलाई, 2006 की भारत सरकार की अधिसूचना	106
IV.	रा.सां.आ.सचिवालय हेतु कर्मचारी संख्या स्वीकृति संबंधी व्यय विभाग का दिनांक 19.8.2005 का आदेश	109
V.	बचत एवं निवेश पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में दिनांक 26.12.2007 की अधिसूचना	111-113

LIST OF APPENDICES

No.	Description	Page Nos.
I.	Government of India Resolution dated 1st June 2005 for setting up of a National Statistical Commission	94-97
II.	Government of India Notification dated 8th May 2006 on service conditions of Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India	101-105
III.	Government of India Notification dated 3rd July 2006 constituting the National Statistical Commission w.e.f 12th July 2006	107-108
IV.	Order dated 19-8-2005 of the Department of Expenditure sanctioning staff strength for the NSC Secretariat	110
V.	Notification dated 26-12-2007 on constitution of High Level Committee on Savings and Investments	114-116

संक्षिप्त शब्दों की सूची

सी एस ओ	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
सी एस आई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
डी जी	महानिदेशक
डी आई पी पी	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
आई आई पी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आई टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई एस आई	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
एम ओ एस एंड पी आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एन एस एस ओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एन एस सी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एन एस ओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
एन ए एस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एन ए डी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एस सी आई एस	औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति
एस एस बी	राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो
डब्ल्यू पी आई	थोक मूल्य सूचकांक
सी पी आई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी आई(आई डब्ल्यू)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)
सी पी आई (यू एनएम ई)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी)
सी पी आई (यू)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)
सी पी आई (आर)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
सी पी आई (ए एल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषीय श्रमिक)
सी पी आई (आर एल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)

अध्याय-I

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संरचना

1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त, सचिव, योजना आयोग, आयोग के पदेन सदस्य हैं और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सी एस आई) आयोग के सचिव हैं । सी एस आई का पद भरे जाने तक सचिव, भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयोग के सदस्य-सचिव के रुप में कार्य किया ।

1.2 आयोग 12 जुलाई, 2006 को गठित किया गया जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष के रुप में प्रो.सुरेश डी.तेंदुलकर को तथा अंशकालिक सदस्यों के रुप में डा.पदम सिंह, डा. सुरजीत एस.भल्ला, प्रो.अभिताभ कुन्दु तथा प्रो.विकास सिन्हा को शामिल किया गया ।

1.3 अंशकालिक अध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्य 12 जुलाई 2006 से और रिपोर्ट की समस्त अवधि के दौरान पदासीन रहे ।

1.4 सचिव, भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2007 तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया जिसके बाद डा.प्रणव सेन ने भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सी एस आई) तथा आयोग के सचिव के रुप में कार्यभार ग्रहण किया । डा.प्रणव सेन तब से आयोग के सचिव के रुप में कार्य कर रहे हैं ।

अध्याय-II

कार्यकारी सार

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एन एस सी) विभिन्न क्षेत्रों तथा केन्द्र एवं राज्यों के सरकारी विभागों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके कई सांख्यिकीय मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है । आयोग ने 31 मार्च, 2008 तक 15 बैठकें आयोजित की हैं ।

2.2 2006-07 के दौरान एन एस सी द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में आयोग को रिपोर्ट करने वाली संचालन समिति के माध्यम से एन एस एस ओ की शासी परिषद के कार्यों को संभालना, देश में आंकड़ा संग्रहण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु संसद में सांख्यिकी संग्रहण विधेयक 2007 को पेश करने की अनुशंसा करना, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति का पुनर्गठन करना, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों में सांख्यिकीय सलाहकारों की भूमिका और कार्य निर्धारित करना, और भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना को शामिल कर सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की 11वीं योजना प्रस्तावों को मंजूरी देना आदि सिफारिशें शामिल थीं ।

2.3 आधारी संरचना सांख्यिकी, कोर सांख्यिकी, एन एस सी के लिए सांविधिक ढांचा, एन एस एस ओ की सर्वेक्षण रिपोर्टों में सुधार करने जैसे कई महत्वपूर्ण मामले तथा थोक मूल्य सूचकांक और रंगराजन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रबोधन संबंधी मामलों पर एन एस सी जांच कर रहा है । यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

2.4 वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने रा.प्र.सर्वे. सर्वेक्षणों में जनसंख्या के कम आंकलन के मुद्दे पर, बचत तथा निवेश पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने और ग्रामीण भारत तथा शहरी भारत हेतु अलग-अलग दो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के समेकन की अनुशंसा के मुद्दे पर और आगे अध्ययन की सिफारिश की । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने डाक विभाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके द्वारा भेजे गए सांख्यिकीय मुद्दों पर अपने विचार भी दिए ।

अध्याय-III

संक्षिप्त इतिहास

सांख्यिकीय आयोग का गठन

3.1 देश की सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार ने जनवरी, 2000 में आंध्रप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डा.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, स्थापित किया था । आयोग ने अगस्त 2001 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी संबंधी एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की जो देश के सभी कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों हेतु एक नोडल एवं शक्ति प्रदत्त निकाय के रुप में सेवा प्रदान करेगा तथा सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों की निगरानी और प्रवर्त्तन करेगा और सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करेगा । रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रारंभ में सरकार के एक आदेश के माध्यम से आयोग की स्थापना की जाए और साथ ही जमीनी वास्तविकताओं और आयोग के कार्य शुरु करने के बाद उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने के लिए इसे कुछ अधिकार भी दिए जाएं ।

3.2 रंगराजन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना हेतु 1 जून, 2005 को भारत सरकार ने एक संकल्प (परिशिष्ट-1) जारी किया जिसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्यों तथा पदेन संदस्य के रुप में सचिव, योजना आयोग तथा आयोग के सचिव के रुप में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को शामिल किया गया । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद भरे जाने तक सचिव, भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आयोग के सदस्य सचिव होंगे ।

3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तों संबंधी दिनांक 8 मई, 2006की सरकारी अधिसूचना परिशिष्ट-II पर दी गई है ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का चयन

3.4 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) का चयन एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिसमें निम्नलिखित शामिल थेः-

i) डा.मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग--अध्यक्ष ;
ii) डा.राकेश मोहन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक--सदस्य ;
iii) डा. शंकर कुमार पाल, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता--सदस्य ; तथा
iv) डा.के.एल.कृष्णा, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, नई दिल्ली--सदस्य ।

3.5 सर्च कमेटी द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप दिए जाने के बाद तदुनसार भारत सरकार ने आदेश सं. आर-16025/3/2005-एन एस सी दिनांक 3 जुलाई, 2006 (परिशिष्ट-III) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों के रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया ।

(i) प्रो.सुरेश डी.तेंदुलकर, अध्यक्ष
(ii) डा.सुरजीत एस.भल्ला, सदस्य
(iii) डा.अमिताभ कुंदु, सदस्य
(iv) डा.पदमसिंह, सदस्य
(v) प्रो.विकास सिन्हा, सदस्य

3.6 आयोग ने 12 जुलाई, 2006 को औपचारिक रुप से कार्यभार संभाला । 21, फरवरी, 2007 को आयोग के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा सचिव के रुप में डा.प्रणव सेन को नियुक्त किया गया ।

आयोग के विचारार्थ विषय

3.7 दिनांक 1 जून, 2005 (परिशिष्ट-I) के सरकारी संकल्प में आयोग के कार्यों के रूप में निम्नलिखित सूचीबद्ध हैं :-

(क) कोर सांख्यिकी जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, की पहचान करना ;
(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां अथवा कार्य समूह गठित करना ;
(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को तैयार करना ;
(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण और रीतिविधानों का निर्माण करना तथा कोर सांख्यिकी पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना ;
(ड.) विभिन्न आंकड़ा सेटों हेतु कलैंडर जारी करने सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां तैयार करना ;
(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां तैयार करना ;
(छ) सरकारी सांख्यिकी में लोक विश्वास को सुधारने से संबंधित उपायों को विकसित करना ;
(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय कार्यकलापों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए उपाय विकसित करना ;

(झ) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय बनाए रखना ;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय कार्यकलापों पर सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना ;

(ट) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को जैसा भी मामला हो, मानकों, कार्यनीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उपायों तथा खण्ड (ग) से (ज) तक के अधीन तैयार किए गए अन्य उपायों की सिफारिश करना ;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना ; और

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों और रीतिविधानों को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकीय प्रणाली के कार्य निष्पादन की निगरानी करना और संवीक्षा करना तथा बेहतर निष्पादन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

अध्याय-IV
आयोग की कार्य प्रणाली

4.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (रा.सां.आ.)की स्थापना करना डा.रंगराजन आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक को पूरा करना है । रंगराजन आयोग की रिपोर्ट यर्थाथता, समयबद्धता और विश्वसनीयता के संबंध में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में त्रुटियों का स्पष्ट रुप से उल्लेख करती है जो सरकार, शिक्षाविदों , जनसाधारण और सांख्यिकीय प्रणाली के प्रयोक्ताओं की प्रत्याशाओं एवं मांगों को पूरा करने में हुई असफलता को दर्शाती है और यह स्वीकार करती है कि प्रत्याशाएं वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है और यथा समय ये बढ़ सकती है । यर्थातता का संदर्भ सरकारी नीति, व्यवसाय एवं जन साधारण की मांगों को पूरा करने के लिए प्रणाली की विद्यमान उत्पादन की व्यवहार्यता से है । समयबद्धता का संदर्भ न केवल सरकारी सांख्यिकी के प्रकाशन में विलम्ब को कम करने, बल्कि आकस्मिकता और उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणाली की जवाबदेहिता से भी है । तृतीय पहलू अर्थात् विश्वसनीयता का संदर्भ, स्वीकार्यता, व्यवहार्यता और विश्वसनीयता पर जनता के प्रत्यक्ष ज्ञान को शामिल करने से है । रा.सां.आ.से अपेक्षित है कि वह विकेन्द्रीकृत भारतीय सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के नवीकरण में एक मार्गदर्शी एवं सुधारात्मक भूमिका निभाए । आयोग को आने वाले दिनों में पूर्ववर्ती कार्यों को पूरा करने के लिए अपने अल्प एवं दीर्घ-अवधि कार्यक्रमों को तैयार करना है ।

4.2 आयोग के वर्तमान सचिवालय में अन्य सहायक कर्मचारियों सहित, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के केवल दो अधिकारी, एक एस ए जी स्तर के तथा दूसरे जे ए जी स्तर के हैं । रा.सां.आ.सचिवालय के लिए कर्मचारी संख्या की स्वीकृति संबंधी वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के आदेश की एक प्रति अनुबंध-IV पर दी गयी है ।

आयोग की बैठकों का विवरण

4.3 आयोग अपने आरंभ से उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विविध मुद्दों और उसको सौंपे गए मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित रुप से बैठकों का आयोजन कर रहा है । इसके अतिरिक्त, आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर राज्यों और केन्द्र के विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों के साथ परामर्श तथा बैठकें की थी ।

4.4 आयोग ने अपने आरंभ से मार्च 2008 तक पंद्रह बैठके की । इनमें से नौ बैठके 2006-07 के दौरान हुई थी । शेष छह बैठकें 2007-08 के दौरान हुई थीं । वे तारीखें जिनमें ये बैठके हुई थी नीचे दी गई है:-

बैठकों की क्रम संख्या	बैठकों की तारीख
10	12 जून, 2007
11	21 अगस्त 2007
12	27 नवम्बर 2007

13	23 जनवरी 2008
14	15 फरवरी 2008
15	26 मार्च 2008

4.5 आयोग की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त को रिकर्ड किया गया और सभी सदस्यों का परिचालित किया गया और उनके विचार प्राप्त होने के बाद उत्तरवीं बैठकों में उसे अन्तिम रुप दिया गया ।

4.6 रा.सां.आ. ने वित्त वर्ष 2006-07 की अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट सां.और का.कार्या.मंत्रालय को प्रस्तुत की और रिपोर्ट 5.12.2007 को लोकसभा तथा 6.12.2007 को राज्य सभा के पटल पर रखी गयी ।

अध्याय-V
2006-07 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

रा.सां.आ.द्वारा रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद के कार्यों को हाथ में लेना

5.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा.प्र.सर्वे.सं.)को दिनांक 5.3.1970 के भारत सरकार के संकल्प सं. डीसं./एसटीएस/4-69 के अनुसार गठित किया गया था । इस संकल्प के अंतर्गत, शासी परिषद ने आवश्यक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता सहित रा.प्र.सर्वे.सं.के कार्यकलापों का मार्गदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों का संग्रहण, विधायन एवं सारणीयन अनुचित प्रभाव से मुक्त है । शासी परिषद को यह पूरा प्राधिकार दिया गया था कि वह रा.प्र.सर्वे.सं.के अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के ऐसे कार्यक्रम बनाए जिसमें उन विषयों या मदों का चुनाव शामिल हो जिस पर आंकड़ों का संग्रहण, प्रतिदर्श अभिकल्प, आंकड़ों की सारणीयना योजना, आंकड़ों का विधायन, विश्लेषण एवं प्रकाशन किया जाता है । शासी परिषद में अध्यक्ष सहित 18 सदस्य हैं । रा.सां.आ.के गठन के ठीक पहले, प्रो.सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्ययक्षता वाली शासी परिषद को केन्द्र सरकार ने नवम्बर 2004 में पांच वर्षों की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तब तक अनुमोदित किया था ।

5.2 जब से रा.सां.आ.ने अपेक्षित स्वायत्ता सहित राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में एक शीर्षस्थ नीति निर्माण निकाय के रुप में कार्य करना शुरू किया है, आयोग के अधिकार क्षेत्र में यह अनिवार्य हो गया है कि रा.सां.आ.में एन एस एस सहित कोर सांख्यिकी से संबंधित सभी मामलों में अधिभावी शक्तियां होंगी । इस दृष्टि से, यह महसूस किया गया था कि जैसे ही रा.सां.आ.सभी कार्य अपने हाथ में ले लेगा, रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद की कोई भूमिका नहीं होगी । रा.सां.आ.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्यक्रम तैयार करेगा और विभिन्न सर्वेक्षण विषय संबंधी मामलों पर निर्णय लेगा । विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर इसे सलाह देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए, रा.सां.आ.व्यवसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करेगा ।

5.3 उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए रा.सां.आ.ने सरकार को यह सिफारिश की कि जब से रा.सां.आ.अपेक्षित स्वायत्तता सहित एक स्वतंत्र व्यवसायिक निकाय के रुप में अस्तित्व में आया था और उसके पास 1 जून, 2005 के सरकार के संकल्प (अनुबंध-I) के अनुसार आवश्यक प्राधिकार है और रा.प्र.सर्वे.सं. को इसके दायरमें में लाया गया है, रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं होगी और रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद द्वारा किए गए कार्यों को हाथ में लेने के लिए आयोग को रिपोर्ट करने वाली एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा । केन्द्र सरकार ने रा.सां.आ.की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, और रा.प्र.सर्वे.सं.की शासी परिषद को भंग कर दिया गया था ।

संचालन समिति का गठन

5.4 आयोग ने निम्नानुसार एवं विचारार्थ विषयों सहित तीन वर्ष की अवधि के लिए रा.प्र.सर्वे.सं.हेतु एक संचालन समिति के गठन की सिफारिश की ।

अध्यक्ष तथा सह-अध्यक्ष

i. प्रो.सुरेश डी.तेंदुलकर, अध्यक्ष, एनएससी, संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ii. प्रो.अभिताभ कुंदु, सदस्य, एनएससी,समिति के सह-अध्यक्ष होंगे ।

(आयोग के अन्य सदस्य जब कभी आवश्यक हो, संचालन समिति की गैठकों में भाग ले सकते हैं)

गैर सरकारी-सदस्य

iii. डॉ एस.राधाकृष्ण, निदेशक, आईजीआईडीआर

iv. प्रो.एस.पी.मुखर्जी, सेवानिवृत्त सांख्यिकी-प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय ।

v. प्रो.के.सुन्दरम, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स ।

vi. डॉ.शुभाशीष गंगोपाध्याय, इंडिया डेवलपमेंट फोरम ।

vii. प्रो.दिपांकर कुंडु, सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र-प्रोफेसर, आईएसआई, कोलकाता ।

viii. प्रो.टी.जे.राव, सेवानिवृत्त सांख्यिकी-प्रोफेसर, आईएसआई, कोलकाता ।

सरकारी सदस्य

i) महानिदेशक, एनएसएसओ-संयोजक

ii) महानिदेशक, सीएसओ

iii) एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग, प्रत्येक के अपर महानिदेशक ।

iv) सचिव, योजना आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले य़ोजना आयोग के एक प्रतिनिधि ।

v) राज्य सरकारों से चक्रानुक्रमानुसार दो प्रतिनिधि दो वर्ष प्रत्येक की अवधि के लिए ।

संचालन समिति के विचारार्थ विषय

क. निम्नलिखित के संबंध में, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को सिफारिशें करना

i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षणों के विषयों, अवधि, तथा शमिल किए जाने वाले विषयों सहित अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यक्रम ।

ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आयोजन में कार्यप्रणालीगत सुधार ।

ख. प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के विशिष्ट दौरों के संबंध में प्रतिदर्श अभिकल्प, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं, प्रश्नावलियों, सारणीयन योजनाओं आदि को अंतिम रूप देना ।

ग. सर्वेक्षण कार्यप्रणाली, आंकड़ा संग्रहण, संसाधन और प्रचार-प्रसार में सुधार हेतु अध्ययन तैयार करना तथा कोई अन्य मुद्दा जो आयोग द्वारा उसे सौंपा गया हो ।

घ. जारी करने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्टों का अनुमोदन करना ।

ड़. संचालन समिति किसी विशिष्ट तकनीकी मुद्दे के संबंध में विशेषज्ञ समूह का गठन कर सकती है जिसमें संचालन समिति की कोर सक्षमता से परे विशेषज्ञता की आवश्यकता हो ।

5.5 शासी परिषद द्वारा रा.प्र.सर्वे.सं.दौरों और विशिष्ट मुद्दों के लिए गठित कार्य समूहों और उप-समूहों को उन्हें दिए गए कार्यों को पूरा करने और जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी और रा.सां.आ.की संचालन समिति को सूचित करने के लिए कहा गया था ।

एन एस एस के इकाई स्तर के आंकड़ों की आपूर्ति

5.6 " भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति " संबंधी प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति ने, 61 वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़े औपचारिक रुप से जारी किए जाने से पूर्व उन्हें समिति को उपलब्ध करवाने के अनुरोध पर आयोग ने विचार किया । इस मामले की तात्कालिकता और महत्व पर विचार करते हुए आयोग ने यह सिफारिश की कि एनएसएस के 61वें दौर से इकाई स्तर के आंकड़े उच्च स्तरीय समिति को उन शर्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनमें आंकड़ों के आदान-प्रदान, आंकड़ों की गोपनीयता तथा उनके अनंतिम स्वरुप से संबंधित क्षेत्र शामिल होंगे ।

5.7 आयोग ने कुछ बैठकों में उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार-बेरोजगारी संबंधी एनएसएस के 61 वें दौर के परिणामों की उपलब्धता के बारे में विचार-विमर्श किया । इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों में राष्ट्रीय हित को देखते हुए, परिणामों को पहले जारी क्यों नहीं किया जा सका । इस तथ्य को देखते हुए कि आंकड़ों के प्रचार-प्रसार का मार्गदर्शन वर्ष 1999 में तैयार की गई राष्ट्रीय आंकड़ा प्रचार-प्रसार नीति द्वारा किया गया था, आयोग का यह विचार था कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग संबंधी प्रस्तावित सांख्यिकी कानून और सांख्यिकीय प्रणाली के अन्य पहलुओं में, आंकड़ा प्रचार-प्रसार पहलू भी शामिल करना चाहिए ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम का संशोधन

5.8 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 32) एक सामर्थकारी विधायन है जिसके द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस अधिनियम के अंतर्गत विविध शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए और सर्वेक्षण अभियान आयोजित करने के लिए एक सांख्यिकीय प्राधिकारी की नियुक्ति करके विविध औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों से सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने के अपने इस आशय के शासकीय राजपत्र के माध्यम से घोषणाएं कर सकेगी । सांख्यिकी प्राधिकारी से यह आशा है कि वह नोटिस में उल्लिखित समय अवधि के भीतर उन्हें अपेक्षित सूचना भेजने के लिए उद्यमों के मालिकों/स्वामियों को लिखित रुप में एक नोटिस जारी करें । यह अधिनियम सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच और प्रतिष्ठानों की पहचान को प्रकट करने वाली किसी सूचना के प्रकाशन पर प्रतिबंध के अधिकार

प्रदत्त करता है । यह असत्य सूचना देने या देने से जान बूझकर मना करने के लिए कुछ दण्ड का प्रावधान भी करता है । अधिनियम में गुप्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आंकड़ा संग्रहण में संलग्न व्यक्तियों हेतु अधिनियम में दण्डों का भी प्रावधान किया गया है ।

5.9 फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत कुछ इकाईयों से लागत, उत्पादन एवं नियोजन संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए सां.और का.कार्या.मंत्रालय द्वारा उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करने में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के उपबन्धों को अभी तक प्रभावी रुप से लागू किया गया है । सूचित किया गया है कि नौ राज्य सरकारों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु ने उन क्षेत्रों में आंकड़े संग्रहित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार ने शामिल नहीं किया है । इसके अलावा, कोयला नियंत्रक का कार्यालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोयला खानों के बारे में सूचना जुटा रहा है ।

5.10 केन्द्र सरकार द्वारा डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 1953 की सीमितताओं का अध्ययन किया था । उनकी टिप्पणियां नीचे दी गई हैं ।

(i) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 फिलहाल एएसआई के केवल सीमित लक्ष्यों को ही पूरा कर रहा है । एएसआई, सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के एक भाग को कवर करता है । लघु उद्योग क्षेत्र की उद्योगों की एक बहुत बड़ी संख्या एएसआई के दायरे से बाहर है, हालांकि यह क्षेत्र बड़ी इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने और गैर-औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए मूल्य वर्धित वस्तुओं का उत्पादन करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । हालांकि धारा 2 (ख) के तहत सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शमिल करने की गुंजाइश है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है । इसके अलावा, उभरते वास्तविक रुझानों पर फिर से चर्चा करना भी महत्वपूर्ण होगा, उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करना और अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी वाले सेवा क्षेत्र को शमिल करना । इन उद्योगों और संबंधित क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों में आंकड़े उपलब्ध कराना बाध्यकारी होना चाहिए ।

(ii) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 जैसे अधिनियम में कानूनी कार्रवाई के प्रावधान के बावजूद उत्तर प्राप्त न होने के मामले सामने आए हैं । इसका एक बड़ा कारण अधिक से अधिक 500/-रुपये का छोटा सा जुर्माना है, हालांकि चूक होने पर एक निश्चित अवधि के बाद प्रतिदिन 200 रूपये के हिसाब से इसमें वृद्धि की सैद्धान्तिक व्यवस्था भी की गई है, लेकिन यह जुर्माना शायद ही कभी लगाया गया हो । अतः ऐसे मामलों में यह अधिनियम मुश्किल से अपना उद्देश्य पूरा करता है और इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है । यह स्थिति तब है जबकि एएसआई के अंतर्गत शामिल उद्योग निर्धारित फार्मेट में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं ।

5.11 रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की कि या तो मौजूदा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम (1953) का दायरा बढ़ाकर या फिर नया अधिनियम अथवा नए अधिनियम पारित करवाकर आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जाएं ।

(क) जैसाकि प्रस्तावित एनएससी द्वारा परिभाषित कोई विषय कोर सांख्यिकी के अंतर्गत शामिल किया जाए ।

(ख) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के तत्वावधान में किसी भी सर्वेक्षण के लिए सूचना उपलब्ध कराना, लोगों, प्रतिष्ठानों अथवा राज्य और निजी क्षेत्र के अभिकरणों के लिए बाध्यकारी बनाया जाए ;

(ग) सांख्यिकी संबंधी जरूरतों के लिए सरकारी अभिकरणों के रिकार्ड सहित सभी रिकार्डों तक पहुंच का अधिकार प्रदान किया जाए ;

(घ) सूचना प्रदाता की पहचान प्रकट करने और संवेदी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करने को गैर-कानूनी बनाकर सूचना प्रदाता का प्राइवेसी का अधिकार सुनिश्चित किया जाए ;

(ड़) सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करने या जानबूझ कर गलत सूचना प्रदान करने पर सूचना प्रदाता के लिए दण्ड का प्रावधान किया जाए ; और

(च) अधिनियम के तहत किसी भी सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना एकत्र करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के लिए प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आंकड़ों को जान बूझकर विकृत करने अथवा इनमें फेर-बदल करने को दण्ड योग्य अपरोध घोषित किया जाए ।

5.12 रंगराजन आयोग की उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केन्द्र तथा राज्यों में स्थित सरकारी विभागों के साथ विचार-विमर्श से सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 नाम से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया ।

5.13 विधेयक के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 1953 को निरस्त करने और कुछ नई विशेषताओं को शमिल करने की अपेक्षा की गई है, इनमें से कुछ का ब्यौरा इस प्रकार है ।

- न केवल उद्योगों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से बल्कि लोगों और परिवारों से भी सभी प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के लिए दायरा बढ़ाया जाएगा ।
- पंचायत तथा नगर-पालिकाओं जैसे स्थानीय स्व-शासित निकायों को आंकड़े संग्रहण के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा ।

- राज्य अथवा केन्द्र या स्थानीय स्व-शासी निकायों का कोई भी सरकारी विभाग/संगठन आंकड़ा संग्रहण के प्रत्येक विषय के लिए और अथवा प्रत्येक भौगोलिक इकाई के लिए एक सांख्यिकी प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है ।
- प्रस्तावित विधेयक में किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को आवश्यक जानकारी, कार्मिकों आदि के रुप में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ।
- केन्द्र सरकार को आंकड़ा संग्रहण के कार्यक्रमों के अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त होंगे ।
- मौखिक साक्षात्कार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिटर्न दाखिल करने सहित आंकड़ा संग्रहण की सभी पद्धतियों को शामिल किया गया है ।
- जुर्माना तथा अभियोजन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया है । अभयोजना की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तुरंत (समरी) दोषसिद्धि की शुरुआत की गई है ।
- पद्धति संबंधी मानक, समयपरकता, विश्वसनीयता और समग्रता सुनिश्चित करने के लिए " कोर सांख्यिकी " के रुप में राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषयों को अधिसूचित करने के लिए विधेयक में समर्थकारी समुचित प्रावधान किए गए हैं ।

5.14 आयोग ने चौथी और पांचवीं बैठक में विधेयक पर विस्तार से चर्चा की । आयोग ने चौथी बैठक में नोट किया कि सांख्यिकी संग्रहण विधेयक अग्रिम चरण में है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विधेयक नए सिरे से तैयार किया जाना है । आयोग ने सिफारिश की कि हालांकि आंकड़ा संग्रहण तंत्र और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दोनों विधेयकों को परस्पर मिला दिया जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों विधेयकों को अलग-अलग पेश किया जाए ।

5.15 भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की उक्त सिफारिशों के आधार पर 17 मई, 2007 को राज्यसभा में सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत विभिन्न कार्यदलों, स्थायी समितियों, कार्य बलों, विशेषज्ञ समितियों के स्तर की समीक्षा ।

5.16 आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी दलों/कार्यबलों और समितियों के स्तर की समीक्षा की । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रो. के.एल.कृष्णा की अध्यक्षता में 24 मार्च, 2000 को औद्योगिक सांख्यिकी के संबंध में एक स्थाई समिति (एससीआईसी) का गठन किया । समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थेः-

(क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के विशेष संदर्भ के साथ भारत में औद्योगिक सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, सारणीयन और वितरण से संबंधित मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना ।

(ख) औद्योगिक सांख्यिकी के लिए सांविधिक सहयोग की समीक्षा करना, और

(ग) औद्योगिक सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिका की समीक्षा करना ।

5.17 औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति की चौदह बार बैठक हुईं । अधिकांश बैठकों में, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और पाया गया कि एससीआईसी की सिफारिशों को संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा या तो लागू कर दिया गया है या फिर लागू किया जा रहा है ।

5.18 एससीआईसी के तीन उप-समूह/उप-समितियां कार्य कर रही थी । इनमें से एक प्रो.सी.पी.चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में आईआईपी से संबंधित मुद्दों पर, दूसरा एन.एस.शास्त्री की अध्यक्षता में एएसआई और आईआईपी के परिणामों की विस्तृत जांच के लिए और तीसरा डॉ.एस.के.नाथ की अध्यक्षता में औद्योगिक सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन, सारणीयन और वितरण पर कार्य कर रही थी ।

5.19 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन के तत्काल पहले, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एससीआईसी के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए, विचारार्थ विषयों में कोई बदलाव न करते हुए समिति की संरचना इस प्रकार की गईः

(1)	प्रो.के.एल.कृष्णा	अध्यक्ष
(2)	प्रो.अरिजीत चौधरी	सदस्य
(3)	प्रो.चन्द्रशेखर, ज.ने.वि., नई दिल्ली	सदस्य
(4)	श्री एम.नीलकांतन	सदस्य
(5)	महानिदेशक, के.सां.सं.	सदस्य
(6)	महानिदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रा.प्र.सवै.सं.	सदस्य
(7)	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो	सदस्य
(8)	अपर महानिदेशक, रा.प्र.सर्वे.सं. (क्षे.सं.प्र.)	सदस्य
(9)	अपर महानिदेशक, के.सां.सं. (रा.ले.प्र.)	सदस्य
(10)	आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(11)	अपर विकास आयुक्त तथा आर्थिक सलाहकार, डीसीएसएसआई, नई दिल्ली	सदस्य
(12)	योजना सलाहकार, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग	सदस्य
(13)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर भाग लेने वाले एक अन्य राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एएसबाई में) का प्रमुख, प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से	सदस्य
(14)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर एक अन्य गैर-सरकारी (एसएआई में) राज्य सांख्यिकी ब्यूरो का प्रमुख, प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से	सदस्य
(15)	अपर महानिदेशक, के.सां.सं. (औ.सां.प्र.)	सदस्य-सचिव

5.20 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया कि गैर सरकारी सदस्यों(उपरोक्त क्र.सं. 2 बौर 4) का कार्यकाल 3 वर्ष का और अध्यक्ष का 5 वर्ष का होगा तथा बारी-बारी से राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के सदस्यों (क्र.सं.13 और 14) के प्रतिनिधित्व के बारे में सदस्य सचिव, अध्यक्ष के साथ परामर्श से निर्णय लेंगे । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह भी फैसला किया कि एससीएसआई द्वारा किसी भी विशेषज्ञ की सहायता लेने का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा और बैठक पर होने वाला व्यय तथा गैर-सरकारी सदस्यों को भुगतान का खर्च के.सां.सं.वहन करेगा, क्योंकि सचिवालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की बजाय केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में होगा ।

5.21 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपरोक्त निर्णयों को अधिसूचित नहीं कर सका, क्योंकि प्रो. के.एल.कृष्णा, अध्यक्ष के रुप में कार्य जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रो. सी.पी.चन्द्रशेखर और प्रो. अरिजित चौधरी से एससीआईएस के सदस्य के रुप में बने रहने की सहमति भी प्राप्त नहीं हुई थी ।

औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति का पुनर्गठन

5.22 उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एससीआइएस के पुनर्गठन का निर्णय लिया । इसके अनुसार प्रो.विश्वनाथ गोलदार, प्रोफेसर आर्थिक विकास संस्थान इसके अध्यक्ष होंगे और प्रो. गोलदार के अलावा श्री आर.नागराज और डॉ.एस.एल.शेट्टी गैर-सरकारी विशेषज्ञों के रुप में एससीआईएस के सदस्य होंगे । एससीआईएस के सरकारी सदस्य पुनर्गठित एससीआईएस में वर्तमान स्वरुप में बने रहेंगे । एससीआईसी की दो उप-समितियां डॉ.एस.के.नाथ और डॉ.एन.एस.शास्त्री की अध्यक्षता में उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने तक काम करती रहेंगी । इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि सेवा उत्पादन सूचकांक के लिए प्रो.सी.पी.चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी सलाहकार समिति एससीआईएस से अलग स्वतंत्र रुप से कार्य करती रहेगी ।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति

5.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाए । प्रो.के.सुदर्शन इसके अध्यक्ष होंगे और निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य होंगेः-

i. प्रो.बी.बी.भट्टाचार्य, कुलपति, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
ii. डॉ एस.एल.शेट्टी, आर्थिक तथा राजनीतिक साप्ताहिक अनुसंधान प्रतिष्ठान
iii. प्रो.आशिमा गोयल, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
iv. प्रो.संघमित्र दास, भारतीय सांख्यिकी संस्थान
v. श्री आर.पी.कत्याल

vi. श्री प्रताप नारायण
vii. श्री नरेश कुमार

रा.प्र.सर्वे.सं.के 64 वें दौर के लिए कार्यदल का गठन

5.24 रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद ने शिक्षा में सहभागिता और व्यय, रोजगार-बेरोजगारी तथा प्रवासन और उपभोक्ता व्यय के विषयों के संबंध में रा.प्र.सर्वे.सं.द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण के 64 वें दौर के अध्यक्ष के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स के प्रो.के.सुन्दरम के नाम की सिफारिश की है । लेकिन रा.प्र.सर्वे.संगठन की शासी परिषद सम्पूर्ण कार्यदल का गठन नहीं कर सकी ।

5.25 आयोग ने अध्यक्ष के अलावा कार्यदल में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की ।

i. प्रो.टी.सी.ए अनन्त, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
ii. प्रो.जे.बी.जी.तिलक, राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन संस्थान
iii. प्रो.समीर गुहा रॉय, भूतपूर्व प्रोफेसर जनसंख्या अध्ययन इकाई, भा.सां.सं., कोलकाता
iv. प्रो.मैरी भट, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान मुम्बई (प्रो.मेरी भट्ट, जिन्होनें कार्यदल में बहुमूल्य योगदान दिया था का 30 जुलाई, 2007 को निधन हो गया) ।

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों में सांख्यिकी सलाहकारों की भूमिका

5.26 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंपे गए अन्य दायित्वों में (i) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के साथ कारगर ताल-मेल के तौर-तरीके विकसित करना तथा संस्थागत प्रणाली को मजबूत बनाना (ii) मंत्रालयों, विभागों और केन्द्र सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकी संबंधी समन्वय स्थापित करना शामिल है ।

5.27 रंगराजन आयोग ने केन्द्र तथा राज्य-स्तर पर सरकारी विभागों में सांख्यिकी संबंधी समन्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है । रंगराजन आयोग की रिपोर्ट का तत्संबंधी सार नीचे दिया गया है ।

> " वर्तमान में ऐसा कोई संस्थागत तंत्र नहीं है, जिसके जरिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी मामलों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ कारगर तालमेल स्थापित कर सके । आयोग की राय है कि मंत्रालयों और विभागों में सांख्यिकीय प्रभागों के प्रमुख अपने विभागों में पेशेवर निष्ठा तथा इन कार्यकलापों में सुधार का दायित्व उठाएं । अपने दायित्व के निर्वहन में, वे राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् के साथ निकट संपर्क से कार्य करेंगे । वे अपने कार्य की पेशेवर गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् के प्रति जिम्मेदार होंगे । वे अपने मंत्रालयों या विभागों के प्रशासनिक संगठन में बने रहते हुए

अपने पेशेवर दायित्वों में राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् के साथ सहयोग करेंगे । सांख्यिकी सलाहकारों के रुप में नामजद किए जाने वाले सांख्यिकी प्रभागों के प्रमुखों के इस प्रकार दोहरे दायित्व होंगे- सांख्यिकी के मामलों में संबंधित ***मंत्रालयों को सहयोग देना और एनसीएस द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों*** के अनुसरण के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् के साथ समन्वय स्थापित करना । उनके पदों के" उच्च स्तरीय दायित्वों को देखते हुए, आयोग सिफारिश करता है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, वित्त, स्वास्थ्य, जल संसाधन आदि जैसे प्रमुख मंत्रालयों अथवा विभागों के सांख्यिकी सलाहकारों का दर्जा राष्ट्रीय सांख्यिविद् से एक चरण नीचे होगा, जबकि अन्य मंत्रालयों और विभागों में सांख्यिकी सलाहकार पर्याप्त रुप से उच्च रैंक का होना चाहिए ।

(क) सांख्यिकी सलाहकार को मंत्रालय या विभाग के सभी सांख्यिकी मामलों के संबंध में" नोडल अधिकारी" के रुप में नामित किया जाए ।

(ख) सांख्यिकी सलाहकार मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक सचिव को सांख्यिकी संबंधी सभी मामलों में सहयोग देगा ।

(ग) सांख्यिकी सलाहकार एनसीएस द्वारा उल्लिखित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् के साथ निकट संपर्क में रहेगा ।

(घ) सांख्यिकी सलाहकार एनएसओ को और एनएसओ से सूचना के प्रवाह में समन्वय स्थापित करेगा ।

14.5.22 भारत सरकार के मंत्रालयों के सांख्यिकी प्रभागों और राज्य सरकारों के विभागों के सांख्यिकी प्रभागों के बीच तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) के बीच त्रिस्तरीय (वर्टिकल) गहन समन्वय विकेन्द्रित भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की मजबूती रहा है । अभी तक केन्द्र में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच समस्तरीय समन्वय कमजोर होने की वजह से राज्यों में भी (जहां सांख्यिकी प्रणाली पूरी तरह से केन्द्रियकृत नहीं है) राज्य अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालयों और विभागों की सांख्यिकी इकाइयों के बीच समस्तरीय समन्वय कमजोर है । राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों की विषय-वस्तु और पद्धति की डीईएस द्वारा समीक्षा के लिए प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

14.5.23 एनसीएस के निर्माण और वर्तमान सीएसओ की तुलना में व्यापक भूमिका वाले एनएसओ की स्थापना से, मंत्रालयों की सांख्यिकी के बारे में एक अधिक व्यापक नजरिया बनने के साथ-साथ केन्द्र में एनएसओ और केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच समस्तरीय समन्वय में काफी सुधार आएगा ।

तथापि, नई संस्थागत व्यवस्था से एक ओर सीएसओ तथा भारत सरकार, मंत्रालयों के बीच और दूसरी तरफ डीईएस तथा राज्य सरकार के विभागों के बीच उर्ध्वाधर समन्वय के विद्यमान मजबूत संबंध कमजोर नहीं होंगे। इसके विपरीत, यह व्यवस्था राज्यों के स्तर पर मजबूत पार्श्विक समन्वय की ओर अग्रसर करेगी।

14.5.24 यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा हो, राज्य डीईएस का विद्यमान समन्वय, तकनीकी समन्वय को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को औपचारिक रूप से राज्य के सभी विभागों की सांख्यिकी की विषय-वस्तु कार्यप्रणाली और आउटपुट की आवधिक समीक्षा करने और इन सांख्यिकी में आगे सुधार करने हेतु सुझाव देने का दायित्व सौपना होगा। केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीविदों का सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली के निष्पादन की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा राज्य के विभागीय सांख्यिकीविदों की बैटक के लिए सदृश मंच सृजित किया जाना चाहिए। समीक्षा की रिपोर्ट और सुझाव डीईएस द्वारा एनएसओ को तथा विभागों द्वारा संगत मंत्रालयों को केन्द्र की ओर से कार्रवाई हेतु अग्रेषित किए जाएं।

14.5.25 डीईएस की बढ़ी हुई भूमिका और राज्यों की सांख्यिकी संबंधी विस्तृत तकनीकी परिचर्चा से राज्य सरकारों को राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी जिससे राज्य सरकारों में इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तथा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र में वही परिणाम हासिल होंगे।

14.5.26 आयोग सिफ़ारिश करता है कि राज्यों में सर्वेक्षण और आंकड़ा विधायन की क्षमताएं विकसित करने के विशेष उद्देश्यों सहित राज्यों में सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने हेतु तैयार की जाए।

5.28 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आईएसएस अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा की थी और इस कवायद के भाग के रूप में केन्द्र में लगभग 20 मंत्रालयों/विभागों में अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी तथा लगभग 20 राज्यों में संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी प्रदान किए। सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मंशा उनकी सेवाओं का उपयोग पार्श्विक समन्वयन सुधारने के लिए तथा समय-समय पर एनएससी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की थी और तद्नुसार मंत्रालय ने उनकी भूमिका और कार्यों को परिभाषित करने के लिए एनएससी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा।

5.29 आयोग ने मंत्रालयों/विभागों में तैनात वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों को संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप मंत्रालय/विभाग से संबंधित सभी सांख्यिकीय मामलों और कार्यों के संबंध में नोडल अधिकारियों के रूप में नामोदिष्ट करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की। आयोग ने सिफ़ारिश की कि ये सांख्यिकीय सलाहकार सभी कोर सांख्यिकी के संबंध में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के प्रति जवाबदेह होंगे। इसके अलावा संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सांख्यिकीय सलाहकारों के संबंध में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया उस मंत्रालय/विभाग पर छोड़ दी जाए। मोटे तौर पर वे

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अपने कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित समन्वयक प्रकार्य निष्पादित करेंगेः

- सांख्यिकीय मामलों के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा निरूपित/जारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् से समन्वय करना ;
- सांख्यिकी के संबंध में नोडल मंत्रालय के नाते सांख्यिकी मंत्रालय को जिस सूचनाःआंकड़े/सांख्यिकी की आवश्यकता हो, उसे प्रदान करना ;
- कोर सांख्यिकी के मामलों में सीएसआई के प्रति जवाबदेह होना और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा "कोर सांख्यिकी " संबंधी दिए गए सभी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करना ;
- सीएसआई को सर्वेक्षणों अथवा अन्य सैद्धांतिक पद्धतियों के माध्यम से अधिक सूचना/आंकड़ों हेतु मांगों के संबंध में सूचित करना ;
- केन्द्र और राज्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के बारे में सलाह देना और उसकी निगरानी करना जिससे द्विरावृत्ति से बचा जा सके ;
- सीएसआई को मंत्रालय/विभाग के सांख्यिकीय कार्मिकों से संबंधित मानव संसाधन विकास मुद्दों पर सलाह देना।

5.30 संयुक्त सचिव और निदेशक के स्तर पर विभिन्न राज्यों में तैनात आईएसएस के अधिकारी निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेंगेः

- राज्य में "कोर सांख्यिकी " के संबंध में सर्वेक्षण आयोजन में सलाह देना और निगरानी करना ;
- सांख्यिकीय मामलों के संबंध में केन्द्र और राज्य के बीच सूचना के आदान-प्रदान और उसके संप्रेषण का समन्वय करना ;
- राज्य के संबंध में एनएससी की सिफ़ारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना;
- केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना ;
- राज्य में अधीनस्थ केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्मिकों/राज्य सांख्यिकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना और उनके बारे में सलाह देना ;
- सीएसआई और राज्य के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के बीच कोर सांख्यिकी और राज्य सरकारों से उद्भूत अन्य सरकारी सांख्यिकी संबंधी गुणवत्ता मानकों के बारे में समन्वय करना।

5.31 आयोग ने सिफ़ारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समुचित प्रशासनिक उपायों के माध्यम से सांख्यिकीय सलाहकारों की समन्वयक और नोडल भूमिका को संस्थागत बनाने के उपयुक्त कदम उठाए।

5.32 आयोग की सिफ़ारिशें 14.09.2006 को पृष्ठांकन सं.4/2006(4)-एनएससी के माध्यम से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशा.) को अग्रेषित की गई हैं।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक

5.33 एनएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने 31 जुलाई, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने आयोग को औद्योगिक और कृषिय उत्पादन से संबंधित आंकड़ों पर बारीकी से नज़र डालने की सलाह दी। उन्होंने आयोग को अपने कार्यकलापों में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को ध्यानपूर्वक संबद्ध करने के उपायों का पता लगाने की भी सलाह दी।

5.34 यह मामला आईएसआई को भेज दिया गया। आईएसआई, कोलकाता ने सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था में अनुसंधान करने और सरकार को परामर्शदायी सहायता में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की। इस बात पर विचार करते हुए कि आईएसआई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक संस्थान है अतः, यह सहमति बनी कि उपयुक्त मुद्दे आईएसआई को भेज दिए जाएंगे।

सूचकांक समीक्षा समिति का गठन

5.35 माननीय प्रधानमंत्री ने 19 अगस्त, 2006 को ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ हुई अपनी बैठक में मूल्य सूचकांकों में खामियों के बारे में अनेक प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त चिंताओं को नोट किया तथा इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए उन्होंने एक सूचकांक समीक्षा समिति के गठन की घोषणा की। तद्नुसार, एनएससी को प्रधानमंत्री कार्यालय से समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों के बारे में सुझाव देने का अनुरोध करते हुए एक संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने इस अनुरोध पर विचार-विमर्श किया और यह सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हुआ डॉ. सुरजीत एस भल्ला, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग प्रस्तावित सूचकांक समीक्षा समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं जिसमें एक अथवा दो गैर सरकारी सदस्यों के अलावा श्रम ब्यूरो, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, वित्त मंत्रालय से कार्मिक, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संगठनों से प्रतिनिधि होने चाहिए। आयोग ने सूचकांक समीक्षा समिति के संबंध में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों की सिफ़ारिश कीः

- औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के भारण आरेख निकालने की कार्यप्रणाली, संकलन की पद्धतियों और संबद्ध कारक सहित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना और रिपोर्ट देना ;
- विद्यमान मूल्य संग्रहण प्रक्रियाओं और मूल्य संग्रहण तंत्र के संबंध में अध्ययन करना और रिपोर्ट देना।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध से संबंधित 11वीं पंचवर्षीय योजना - प्रस्ताव

5.36 *सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के* योजना - प्रस्तावों की आयोग द्वारा समीक्षा की गई। मंत्रालय द्वारा तैयार छः विभिन्न योजनाओं पर आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने कुछ योजनाओं के युक्तियुक्त बनाने की सिफ़ारिश की और विश्व बैंक वित्तपोषित भारत सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी) के टीयर-II को राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण तक सीमित कर दिया। 11वीं योजना-प्रस्तावों संबंधी एनएससी की सिफ़ारिशें/मत पृष्ठांकन सं.4/2006(7)-एनएससी के माध्यम से 22.12.2006 को महानिदेशक, सीएसओ को भेज दिए गए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सूचित किया कि इस योजना को एनएससी की सिफ़ारिशों के आधार पर पुनः निर्मित और आगे प्रोसेस किया जा रहा है।

चेन्नई में आईएसआई की स्थापना

5.37 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई में भारतीय सांख्यकीय संस्थान की स्थापना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में आयोग का मत मांगा था। आयोग ने राय दी कि शुरूआत में आईएसआई के दिल्ली और बंगलूर केन्द्रों की तर्ज पर एक आईएसआई केन्द्र स्थापित किया जाए।

अध्याय-VI

एनएससी के विचाराधीन विषय

आधारी संरचना सांख्यिकी

6.1 योजना आयोग ने एनएससी का ध्यान, आधारी संरचना के विकास को हाथ मे लेने हेतु आकर्षित किया था। आयोग ने सिफ़ारिश की कि आधारी संरचना सांख्यिकी संबंधी प्रस्तावित दस्तावेज की विषय-वस्तु और कवरेज का पता लगाने और रंगाराजन आयोग द्वारा संस्तुत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सांख्यिकी को संकलित करने हेतु सीएसओ के नेतृत्व में आधारी संरचना क्षेत्रों से कार्य व्यवहार करने वाले मंत्रालयों/विभागों से लिए गए अधिकारियों का एक समूह बनाया जाए। "आधारी संरचना" की परिभाषा, विषय-वस्तु और कवरेज के संबंध में भिन्न-भिन्न धारणाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर बातचीत हुई। यह सहमति बनी की आधारी संरचना के अवधारणात्मक मुद्दों, कवरेज और आंकड़ा स्रोतों/अपेक्षाओं के संबंध में बातचीत डॉ. सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता वाली सभी संबंधितों की बैठक में की जाए जिसमें योजना आयोग, भारतीय रिजव बैंक और आधारी संरचना क्षेत्रों से कार्य व्यवहार करने वाले मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा आधारी संरचना को वित्तपोषित करने वाले निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

6.2 यह बैठक 11 सितम्बर, 2007 को हुई। जबकि आधारी संरचना की स्वीकार्य परिभाषा संबंधी प्रश्न पर निर्णय अभी होना है, तो भी संबंधित विभागों से अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध आंकड़ों की मात्रा संबंधी सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया। यह भी सूचित किया गया कि आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने आधारी संरचना के एक सूचकांक के संबंध में एक मसौदा पेपर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष ने इच्छा जताई कि प्रत्येक आधारी संरचना-संकेतक के मामले में आंकड़ा संग्रहण प्रणाली तथा प्राथमिक रिपोर्टिंग स्तर से राष्ट्रीय स्तर के समाहार तक का आंकड़ा संकलित करने की प्रक्रिया के साथ ही इस प्रक्रिया में अंतर्वर्ती पर्यवेक्षी नियंत्रणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

कोर सांख्यिकी

6.3 एनएससी के लिए अभिकल्पित मुख्य भूमिकाओं में एक कोर सांख्यिकी की पहचान करना, अभिज्ञात कोर सांख्यिकी के संबंध में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना और कोर सांख्यिकी के सग्रहण, सारणीयन और कैलेण्डर जारी करने सहित उसके प्रसार हेतु रणनीतियां विकसित करना है।

6.4 रंगराजन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार, कोर सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं होंगीः

i. वे राष्ट्रीय महत्व की होनी चाहिए

ii. वे सरकारों के लिए सभी स्तरों पर संगृहीत तथा प्रसारित करनी अनिवार्य होनी चाहिए ।

iii. वे एनएससी द्वारा यथा निर्धारित परिभाषाओं, अवधारणाओं और मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

iv. उन्हें आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए ।

v. वे समाहृत स्तर पर और विसमाहृत स्तर पर जहां कही उचित हो, उपलब्ध होनी चाहिए ।

6.5 एनएससी कोर सांख्यिकी की पहचान करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न विशेषज्ञों और सरकारी विभागों से परामर्श करता रहा है।

रंगराजन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा

6.6 एनएससी को यह सूचित किया गया कि रंगराजन आयोग की 623 सिफ़ारिशों में से 261 सिफ़ारिशें कार्यान्वित कर ली गई हैं। एनएससी इस मुद्दे की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करता रहा है।

एनएससी के लिए सांविधिक ढांचा

6.7 आयोग ने जैसाकि सरकार के दिनांक 1 जून, 2005 के संकल्प (परिशिष्ट-I) में नोट है, अपनी विभिन्न बैठकों में, एक सांविधिक सांख्यिकीय आयोग का प्रावधान करने, की आवश्यकता पर बातचीत की थी। तद्नुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग विधेयक की रूपरेखा के मसौदे पर बातचीत हुई और उसे एनएससी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। आयोग द्वारा अनुमोदित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं :

> एनएससी एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे जिनमें से दो पूर्णकालिक होंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् आयोग के पदेन सदस्य होंगे। विधेयक, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद को भी एनएसओ के अध्यक्ष के रूप में औपचारिक बनाता है।

6.8 यह भी महसूस किया गया कि प्रस्तावित विधेयक में सांख्यिकीय प्रणाली के भीतर एनएससी की स्थिति संबंधी, विशेषतया एनएसओ से इसके संबंध से जुड़े प्रश्न पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एनएससी कोर सांख्यिकी, सांख्यिकीय आंकड़ा गुणवत्ता प्रमाणीकरण, सांख्यिकीय सलाहकारों के नामन, सरकारी सांख्यिकी के आदान-प्रदान, राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के विनियमन आदि के संबंध में विशेष खंड शामिल करने के बारे में विचार करता रहा है।

एनएसएसओ की रिपोर्टों में सुधार

6.9 आयोग ने कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त मतों के मद्देनज़र एनएसएसओ की सर्वेक्षण रिपोर्टों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। सर्वेक्षण प्रश्नावली के वास्तविक डिजाइन से पूर्व, सर्वेक्षण रिपोर्टों के फॉर्मेट की अवधारणा बनाने की आवश्यकता को स्वीकारा गया जिससे कि रिपोर्टों को अधिक संकेन्द्रित बनाया जा सके। यह भी स्वीकार किया गया कि अधिसंख्य प्रयोक्ताओं के पास अपने आप इकाई स्तर के आंकड़ों से आंकड़ा विश्लेषण की अपेक्षित क्षमता नही है - जिससे सर्वेक्षण रिपोर्टों के भाग के रूप में विस्तृत सारणियां प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। एनसीसी एनएसएस की कार्यप्रणाली और धारणाओं की बारीकियों के विस्तृत संदर्भों के बिना सामान्य प्रयोक्ताओं द्वारा पठनीय सर्वेक्षण रिपोर्टें लाने पर विचार करता रहा है।

थोक मूल्य सूचकांक

6.10 आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संकलन से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर आयोग के समक्ष 13 जून, 2007 को प्रस्तुती की। बाद में, एनएससी की प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं डीआईपीपी के अधिकारियों के साथ हुई 14वीं बैठक में भी बातचीत हुई। परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दे एनएससी के विचाराधीन रहे।

प्रस्तुतियां/बैठकें

6.11 इनवेस्ट इंडिया इकॉनामिक फाउंडेशन प्राइवेट लि. तथा इनवेस्ट इंडिया मार्किट साल्यूशन्स प्रा. लि. के प्रतिनिधियों ने 26 मार्च, 2008 को भारत निवेश आय एवं बचत सर्वेक्षण, 2007 के संबंधं में एक प्रस्तुति की।

6.12 सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा 23 जनवरी, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) के संबंध में प्रस्तुती की गई।

अध्यक्ष, एनएससी द्वारा की गई बातचीत और परामर्श

6.13 आयोग ने मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई कोर सांख्यिकी के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के तरीकों और उपायों पर विस्तृत चर्चा की। यह स्वीकार किया गया कि मंत्रालयों और विभागों को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियां संरचित करने संबंधी विषय पर उन्हें सलाह देने में आयोग की वैध भूमिका है। यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष संघ के सभी मंत्रियों को आयोग की भूमिका बतलाते हुए एक पत्र लिखें ताकि सदस्य मंत्रालयों एवं विभागों में सांख्यिकीय मुद्दे सहजता से उठा सकें। तद्नुसार, अध्यक्ष ने सभी संघीय मंत्रियों को निम्नलिखित पत्र लिखाः

*आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार ने देश में **समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों** हेतु **नोडल** और **अधिकारप्राप्त** निकाय के रूप में सेवा करने तथा सांख्यिकीय प्राथमिकताएं और मानक विकसित करने, उनकी निगरानी और उन्हें लागू करने तथा इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियां में सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यापक अधिकारों से युक्त राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गठित किया था। आयोग औपचारिक रूप से जुलाई, 2006 में गठित किया गया था। आयोग की रचना संलग्नानुसार है।*

*इस संदर्भ में, मैं **प्रथम सांख्यिकी दिवस 29 जून, 2007** को माननीय प्रधानमंत्री के अभिभाषण से उद्धृत करता हूं।*

'हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि वर्षों से हम सरकारी सांख्यिकी में ईमानदारी के उच्च मानक कायम रख पाए हैं। तथापि ऐसे मामलों में अनुभूति भी वास्तविक जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि सरकार ने पिछले वर्ष एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना की।

'सरकार से इसके नजदीकी संबंध न होने के कारण हमारे सरकारी सांख्यिकी की अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे इन आंकड़ों ने लोगों तथा संगठनों के बीच जो अपनी विश्वसनीयता बनाई है उसके स्तर में भी वृद्धि होने में मदद मिलेगी, जिससे इस प्रकार संगृहीत आंकड़ों की परिपूर्णता तथा शुद्धता दोनों में सुधार होगा।

'राष्ट्रीय सांख्यकीय आयोग को दिए गए व्यापक अधिकारों में से दो का विशेष महत्व है। पहला, सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता वाले मानक तैयार एवं निर्धारित करना तथा दूसरा, केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं राज्य सरकारों के बीच सांख्यिकी संबंधी सामंजस्य बैठाना। मैं सभी संबंधितों से अपील करता हूं कि हमारे सांख्यिकीय डाटाबेस में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के साथ यथासंभव सहयोग करें तथा सक्रियता से इसकी मदद लें।'

आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नीति निर्माण तथा बौद्धिक एवं सुअवगत लोक चर्चा के क्षेत्र एवं दायरे दोनों के मामले में विश्वसनीय एवं समयबद्ध आंकड़ों की आवश्यकता महत्वपनूर्ण् रूप से बढ़ गई है तथा अपेक्षित आंकड़ों के संग्रहण में अधिकतर सरकारी अभिकरणों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अब वे आयोग के सिर पर आ गई हैं। इससे जुड़े अधिकतर मुद्दे को सुलझाने के लिए आयोग के सदस्य संबंधित अभिकरणों से परस्पर संवाद करेंगे। आशा है आयोग के सदस्य आपके मंत्रालय के महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करेंगे तथा उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। आयोग के विभिन्न सदस्यों को सौंपी गई सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्रों का विवरण भी इसके साथ भेजा जा रहा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की तरफ से मैं आपके मंत्रालय के अधिकारियों से सक्रिय सहयोग एवं सतत परस्पर संवाद चाहूंगा ताकि आपके मंत्रालय से जारी होने वाले सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता में और सुधार किया जा सके जिससे विकास संबंधी मुद्दों की बेहतर समझ कायम होगी। मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि जैसाकि

प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है, यदि आप अपने मंत्रालय से जुड़े किसी भी सांख्यिकी संबंधी मुद्दे को हमारे समक्ष लाएंगे तो आयोग प्रसन्नता से उसका परीक्षण करेगा।

6.14 मंत्रियों ने आयोग को अपने सहयोग का भरोसा दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष ने असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात के दौरों के दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श किया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में उन्होंने मुख्य सचिवों/मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा जिसमें राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा पेश की।

अध्याय-VII

2007-08 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा देखे गए मुद्दे तथा की गई सिफ़ारिशें

राज्यों के साथ निधि अंतरण जोड़ने के लिए आधार के रूप में निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए सूचकों की पहचान

7.1 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) के अध्यक्ष ने सेवा सुपुर्दगी सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव दिए जिनमें से एक सुझाव यह था कि कुछ मानव विकास सूचकों के आधार पर बढ़िया प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ निधि अंतरण को जोड़ दिया जाए। इस सुझाव पर प्रशासनिक सुधार संबंधी कोर समूह की बैठक में विचार किया गया जिसमें यह सिफ़ारिश की गई कि योजना आयोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए एक कोष बनाए।

7.2 योजना आयोग की टिप्पणियों की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने महसूस किया कि संबद्ध निष्पादन सूचकों की पहचान के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) से परामर्श किया जाना चाहिए जिसके लिए वार्षिक आधार पर राज्य-वार आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए ताकि बदलाव की दर का विश्लेषण किया जा सके। संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मामले को एनएससी के समक्ष रखा गया।

7.3 आयोग ने राज्यों को निधि अंतरित करने के लिए संबद्ध निष्पादन सूचकों की पहचान करने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग का संदर्भ ग्रहण किया। आयोग ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले प्रतिदर्श सर्वेक्षणों तथा अन्य सर्वेक्षणों जैसे कि भारत के महारजिस्ट्रार की प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि जैसे स्रोतों से संभावित सूचकों के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता तथा समयबद्धता पर विचार किया तथा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के तर्ज पर एक उपयुक्त सूचकांक के निर्माण अथवा अन्यथा प्रत्येक राज्य के समग्र विकास को मापने तथा राज्य सरकार को निधियों के आवंटन का आधार तैयार करने के लिए ऐसे ही किसी सूचकांक की उपयुक्तता पर विचार किया।

7.4 यह पाया गया कि अंतरण की विशिष्ट प्रणाली अथवा विशिष्ट स्कीमों से जुड़े ऐसे निष्पादन सूचक तैयार करना ठीक रहेगा। इस संदर्भ में उठने वाले आनुभविक तथा डाटाबेस मुद्दे होंगे - (क) यदि राज्यों को संयुक्त रूप से अनुदान दिया जाना हो तो सुशासन का पारदर्शी एवं समग्र सूचकांक तैयार करना जिसका राज्यों के बीच तुलना होगी अथवा (ख) सेवा विशिष्ट सूचकांक का समूह । उदाहरण के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) सूचकांक तैयार कर रही है। इसी तरह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आधार के रूप में विविधता सूचकांक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

7.5 ये दोनों प्रकार के सूचकांक वर्ष दर वर्ष होने वाले परिवर्तनों तथा निधियां प्रदान किए जाने की बारंबारता के प्रति संवेदी होने चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे संकेतक सेवा प्रदाताओं पर निर्भर न करते हुए स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर भी आधारित होने चाहिए। मिले-जुले एचडीआई सामाजिक सेवा प्रदायगी से संबंधित नीतियों का खाका तैयार करने, निर्माण करने और लागू करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्षमता ग्रहण नहीं करेंगे।

7.6 अतः (i) स्कीमों तथा योजना आयोग द्वारा सुझाई गई वैयक्तिक स्कीमों में दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहन तथा (ii) किए जाने वाले अंतरण की तीव्रता (जैसे कि एकमुश्त, वार्षिक, पंचवर्षीय आदि) की पहचान करना अपेक्षित है। स्कीमों (जिसके लिए निधियों के अंतरण को कुछ सूचकों के साथ जोड़ा जाएगा) के चयन होने एवं प्रस्तावित अंतरण की तीव्रता सुनिश्चित होने के बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जैसे विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से उपलब्ध सूचना की बारीकी से जांच करना तथा संभावित सूचकों की पहचान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर एक समग्र सूचकांक तैयार करना संभव हो पाएगा।

7.7 आंकड़ों की वर्तमान उपलब्धता की जांच से पता चला कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग रोजगार, शिक्षा, परिवार के खर्चे, आवास जैसे व्यापक सूचकों के संबंध में तो सूचना प्राप्त होती है, परंतु सार्वजनिक रूप से मुहैया कराई गई सुविधाओं जैसे कि सड़कों आदि के बारे में सूचकों का कोई समूह नहीं है जिसमें राज्य स्तर पर वर्ष दर वर्ष आधार पर एकसमान सूचना उपलब्ध हो, जो कि इतनी सटीक हो कि वार्षिक बदलावों को प्रभावित कर सके। हालांकि, क्षेत्र/स्कीम निर्धारित होने तथा संबद्ध सूचकों की पहचान किए जाने के बाद सूचकों को तैयार करने के लिए विशेष सामयिक सर्वेक्षणों का सुझाव देना संभव हो सकेगा।

7.8 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सचिवालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के उक्त विचारों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को प्रेषित कर दिया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) में जनसंख्या को कम महत्व देना

7.9 आयोग ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में जनसंख्या को कम महत्व देने के विषय पर गौर किया। यद्यपि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने इस विषय की सीमा तथा इसके कारणों की जांच करने के लिए अध्ययन किया है, तथापि आयोग ने इस मुद्दे का आगे और अध्ययन की सिफ़ारिश की है। चूंकि यह मुद्दा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में समालोचनात्मक महत्व का था, अतः आयोग ने किसी परामर्शदाता से इसका अध्ययन कराने की सिफ़ारिश की। चूंकि इसके लिए किसी ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता थी जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा जनगणना कार्यप्रणाली दोनों की गहरी जानकारी हो, इसलिए आयोग ने श्री एस.के. सिन्हा को अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपने की सिफ़ारिश की, जो हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिनको महारजिस्ट्रार के कार्यालय में कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है।

बचत एवं निवेश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन

7.10 आयोग ने घरेलू बचत के अनुमान से जुड़े अनेक मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय से संदर्भ ग्रहण किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने विचार प्रकट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से गहरा रहे वित्तीय संकट के प्रभावों को घरेलू वित्तीय बचतों में दर्शाया नहीं जा रहा है। यह भी सुझाव दिया गया कि आय एवं व्यय आंकड़ों के एकीकृत घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से घरेलू बचतों का प्रत्यक्ष अनुमान किया जाए। यद्यपि भारत में बचत एवं निवेश के अनुमान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली वैचारिक रूप से ठीक थी तथा विशेषज्ञ समितियों ने भी पूर्व में इसका समर्थन किया था, तथापि महसूस किया गया कि पुनः विशेषज्ञ समिति से इन मुद्दों की जांच कराई जाए। आयोग ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद यह सिफ़ारिश की कि डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगेः

क. अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि पथ के आलोक में, डाटाबेस, आंकलन की पद्धतियों, विश्वसनीयता और व्याख्यात्मक महत्व के संबंध में, कुल योग एवं उसके घटक दोनों रूपों में अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा राष्ट्रीय बचत एवं निवेश के उपलब्ध आंकलनों की आलोचनात्मक समीक्षा करना ;

ख. इस बात की जांच करना कि अर्थव्यवस्था में जो तेजी से वित्तीय संकट गहराता जा रहा है उसे क्या वित्तीय बचत के अनुमानों में विधिवत दर्शाया जा रहा है, तथा यदि आवश्यकता हो तो इसमें सुधार के लिए सुझाव देना ;

ग. एकीकृत आय एवं व्यय सर्वेक्षणों के माध्यम से घरेलू बचत का सीधा अनुमान लगाने की व्यावहारिकता की जांच करना ;

ध. एक उपयुक्त पद्धति के माध्यम से विशुद्ध परिवारों, घरेलू उद्यमों तथा अनिगमित निकायों का अलग-अलग अनुमान निकालने की व्यावहारिकता की जांच करना ;

ड. निवेश के संबंध में फार्म क्षेत्र में बचत का पता लगाना ;

च. इस बात की जांच करना कि कॉरपोरेट बचत का अनुमान मार्क टू मार्केट आधार पर लगाया जाए कि वर्तमान बुक वैल्यू पद्धति पर ;

छ. कॉरपोरेट निवेश एवं बचत के अनुमान में प्रयुक्त पद्धतियों एवं कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए सुझाव देना ;

ज. एक तरफ नगरपालिकाओं, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय शासनों तथा दूसरी तरफ सार्वजनिक निवेश में बढ़ती निजी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सर्वजनिक क्षेत्र की बचत एवं निवेश के अनुमान को सुदृढ़ करने के लिए पद्धतियों की सिफ़ारिश करना ;

झ. वस्तु प्रवाह पद्धति तथा निधि प्रवाह पद्धति के आधार पर अनुमानों में प्रयुक्त आनुभविक पद्धतियों एवं कार्यप्रणालियों की जांच करना तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देना ;

अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाने अथवा इसकी परिशुद्धता की जांच करने के लिए यदि कोई डाटाबेस का निर्माण/तैयार किया जा रहा हो तो उसमें सुझाव देना ;

ट. मौजूदा कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी निर्माण के अनुमान में सुधार का सुझाव देना।

7.11 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की उपर्युक्त सिफ़ारिश के आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन से संबंधित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.12.2007 को जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-V में दी हुई है।

डाक विभाग से प्राप्त संदर्भ

7.12 डाक विभाग ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयेग को कुछ वैसी आंकड़ों की प्रकृति वाली समस्याएं भेजी जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। विभाग ने मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए थे।

(1) वैसी डाक जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उनकी वोल्यूम ट्रैफिक के अनुमान हेतु एक उपयुक्त प्रतिदर्श डिजायन।

(2) विभिन्न डाक उत्पादों की संयुक्त लागत के निर्धारण के लिए ऐसी लागत निर्धारण पद्धति का पालन किया जाए जो प्रत्येक डाक उत्पाद की लागत का सटीक अनुमान दे सके।

(3) विभिन्न डाक उत्पादों के लिए मांग कार्य का अनुमान ताकि इसका प्रयोग उचित मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय में किया जा सके।

7.13 डाक विभाग अनेक प्रकार के उत्पाद में लेन-देन करता है जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकंता है - जिम्मेदारी वाला उत्पाद तथा वैसा उत्पाद जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। जिम्मेदारी वाले उत्पाद जैसे कि पंजीकृत पत्र, वैसी वस्तुएं जिनका बीमा कराया गया हो आदि, के मामले में डाकघरों में रिकॉर्ड रखा जाता है, जिन्हें प्रत्येक महीने प्रत्येक डाकघर से एकत्रित कर संकलित किया जाता है। अतः जिम्मेदारी वाले उत्पादों का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जिन वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता उनके मामले में वर्तमान प्रणाली यह है कि देश के सभी सुपुर्दगी डाकघरों में फरवरी और अगस्त के दूसरे/तीसरे सप्ताह (8 से 21) के दौरान सुपुर्दगी के लिए आई सभी वस्तुओं की गणना की जाती है। इस प्रक्रिया को "परिगणना " कहा जाता है तथा गणना संबंधित डाकघरों के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इन चार हफ्तों के दौरान प्राप्त वस्तुओं की संख्या को 10.714 के गुणक (टिप्पणीः रविवार एवं छुट्टियों के कारण 65 दिन घटा दिए जाते हैं। शेष 300 दिनों में 28 दिन से भाग दे दिया जाता है, जिससे 10.714 का आंकड़ा प्राप्त होता है) से गुणा कर दिया जाता है, जिससे वर्ष के दौरान निपटाई गई प्रत्येक प्रकार की वस्तु की कुल ट्रैफिक का पता चलता है।

7.14 बही खातों से टिकटों की बिक्री से हुई कुल आमदनी का पता चलता है। प्रति डाक वस्तु जैसे कि पोस्टकार्ड, अंतर्देशी पत्र, पंजीकरण से हुई आमदनी पहले से ही पता होती है। पत्र, पार्सल आदि जैसी दूसरी वस्तुओं के मामले में प्रत्येक वस्तु से हुई आमदनी का पता करने के लिए विभाग प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। जिम्मेदारी वाली प्रत्येक वस्तु जैसे कि पंजीकृत पत्र आदि द्वारा प्राप्त औसत आमदनी के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारी वाली कुल वस्तुओं की अनुमानित आमदनी की गणना की जाती है, जिसे बही खातों में दर्शाई गई कुल आमदनी में से घटा दिया जाता है ताकि अपंजीकृत वस्तुओं से हुई आमदनी का अनुमान लगाया जा सके। परिगणना के द्वारा प्राप्त आंकड़ों (परिगणना के द्वारा प्राप्त आंकड़ों जिन्हें वस्तु के प्रत्येक वर्ग से प्राप्त औसत आमदनी से गुणा किया जाता है) पर आधारित अपंजीकृत वस्तुओं से प्राप्त आमदनी उस राशि से काफी अधिक होती है, जिनकी गणना बही खातों से अवशिष्ट राशि के रूप में की गई होती है। यह विसंगति इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि परिगणना के दौरान रिपोर्ट की गई अपंजीकृत ट्रैफिक की मात्रा अपनी वास्तविक मात्रा से अधिक दर्शाई गई है। अतः अपंजीकृत डाक की मात्रा ट्रैफिक का अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त प्रतिदर्श डिजाइन की आवश्यकता है।

7.15 विभाग 1970 से विभिन्न उत्पादों/सेवाओं की लागत पता करने के लिए अनुदान मांग से लिए गए आंकड़ों पर आधारित लागत लेखांकन पद्धति का पालन कर रहा है। किसी भी वर्ष में विभिन्न सेवाओं की वास्तविक औसत लागत का पता करने के लिए लागत निर्धारण की प्रक्रिया तभी शुरू की जाती है जब उस वर्ष में हुए वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध हों तथा ट्रैफिक की परिगणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। लागत निर्धारण प्रणाली में चार कदम उठाए जाते हैं, अर्थात -

i) कुल व्यय का पता करना ;
ii) विभिन्न कार्यों/सेवाओं में हुए व्यय का विश्लेषण करना;
iii) आउटपुट अर्थात् विभिन्न सेवाओं/उत्पादों की ट्रैफिक का निर्धारण करना ; तथा
iv) सेवा/उत्पाद की प्रति इकाई की लागत तय करना तथा अधिशेष राशि/घाटा निर्धारित करने के लिए औसत आमदनी के साथ इसकी तुलना करना।

7.16 अनुदान मांग से हुए वास्तविक व्यय को डाकघर प्रचालन, रेलवे डाक सेवा शुल्क, परिवहन शुल्क, मुद्रण तथा स्टेशनरी शुल्क (समस्त टिकटें एवं पोस्टल स्टेशनरी) तथा उपरिव्यय (निरीक्षण, आवास, लेखा, लेखा परीक्षा आदि) में विभाजित किया जाता है।

7.17 डाकघर प्रचालन के तहत हुए कुल व्यय को चार वर्गों अर्थात् लिपिकीय हैंडलिंग, समूह "घ" सहायता, सुपुर्दगी लागत तथा इन लागत केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के आधार पर संग्रहण में विभाजित कर दिया जाता है। डाकघर प्रचालन से संबंधित व्यय में डाकघरों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन संबंधी व्यय भी शामिल होता है। छंटाई करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन तथा डाक वाहन के संबंध में हुए व्यय को रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) शुल्क में शामिल किया जाता है। विभाग की कुल पेंशन देयता कुल व्यय का लगभग 22 प्रतिशत है। लिपिकीय हैंडलिंग तथा सुपुर्दगी से संबंधित व्यय को कार्यभार के आधार पर विभिन्न उत्पादों में विभाजित कर दिया जाता है। कार्यभार की गणना प्रत्येक उत्पाद

के लिए अनुमानित ट्रैफिक में निर्धारित समय कारक से गुणा देकर की जाती है। समूह "घ" सहायता तथा संग्रहण से संबंधित व्यय को ट्रैफिक के आधार पर विभिन्न उत्पादों में विभाजित किया जाता है। आरएमएस प्रचालन से संबंधित व्यय का निर्धारण ट्रैफिक में संबंधित समय कारक से गुणा देकर किया जाता है। परिवहन शुल्कों को उत्पादों में विभाजित कर दिया जाता है जिसका आधार होता है उत्पाद के प्रत्येक वर्ग का औसत भार (जिसे सैंपलिंग के जरिए प्राप्त किया जाता है) गुणा ट्रैफिक। टिकटों के मुद्रण की वास्तविक लागत का विभाजन अनुपात के आधार पर किया जाता है। अनुपात का निर्धारण प्रत्येक उत्पाद की ट्रैफिक में उसकी औसत आमदनी से गुणा कर किया जाता है। फार्म आदि के मुद्रण से संबंधित व्यय का निर्धारण ट्रैफिक के आधार पर होता है। डाकघर के निरीक्षण से संबंधित व्यय को डाकघरों के व्यय की प्रतिशतता के आधार पर उत्पादों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके अलावा, आवास, लेखा, लेखा परीक्षा आदि जैसे उपरिव्यय का वर्गीकरण प्रचालन संबंधी कुल व्यय, डाकघर के निरीक्षण से संबंधित व्यय आदि के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

7.18 इस प्रकार हमने देखा कि उत्पादों/सेवाओं के लागत निर्धारण में ट्रैफिक तथा समय कारक दो मुख्य उपादन हैं। परंतु कुछ उत्पादों/सेवाओं के मामले में ट्रैफिक से संबंधित आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते, जिससे लागत का पूर्णतः सटीक अनुमान नहीं लग पाता। इसके अलावा, लागत निर्धारण पद्धति की मौजूदा प्रणाली में सेवा सुपुर्दगी में प्रयुक्त इनपुट तथा उस सेवा के लागत निर्धारण के बीच कोई सहसंबद्धता नहीं होती। साथ ही, विभाग द्वारा पेश किए जा रहे उत्पाद/सेवाएं आपूर्ति आधारित (जैसे कि बिजली) नहीं होती, अतः विभाग के समस्त व्यय को उत्पादों की लागत में ही विभाजित कर देने का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई ठोस तर्क नजर नहीं आता। मौजूदा पद्धति के अनुसार अधिक मात्रा वाले उत्पादों की लागत अधिक तय कर दी जाती है जिससे ये उत्पाद बाजार प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाते हैं। वस्तुतः, लागत निर्धारण की इस पद्धति से हो ये रहा है कि उत्पादों का मूल्य बढ़ता जा रहा है तथा बाजार में इसकी भागीदारी कम होती जा रही है। कार्य आधारित लागत का अनुसरण करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। किंतु इनपुट संबंधी डाटा की रिकॉर्डिंग के लिए तथा खण्डवार, गंतव्य आधारित, भार आधारित आदि अन्य प्रकार के डाटा के लिए भी, जिनको रिकॉर्ड किया जाना अपेक्षित है, एक समुचित डिज़ाइन को तैयार नहीं किया गया है।

7.19 डाक विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं - (क) विभिन्न डाक संबंधी उत्पादों की संयुक्त लागतों के निर्धारण हेतु किस प्रकार की लागत पद्धति का अनुसरण किया जाना है, जिससे प्रत्येक डाक संबंधी उत्पाद की लागत का सटीक आंकलन किया जा सके। यह बाज़ार में व्याप्त प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए, लागत आधारित समुचित मूल्य नीति का अनुसरण करने में विभाग को सक्षम बनाएगा, जिससे डाक संबंधी उत्पाद स्पर्द्धात्मक बनें ; तथा (ख) विभिन्न डाक संबधी उत्पादों के लिए मांग प्रकार्य के आंकलन की प्रणाली जिससे इसे समुचित मूल्य निर्धारण हेतु उपयोग किया जा सके।

7.20 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) ने डाक विभाग द्वारा उठाए गए सांख्यिकीय मुद्दों के महत्व को पहचाना, विशेषतः ट्रैफिक की मात्रा के आंकलन हेतु उपयोग किया जाने वाला प्रतिदर्श डिज़ाइना आयोग का यह विचार था कि लागत प्रणाली में अन्य परिवर्तनों के साथ एक सटीक प्रतिदर्श डिज़ाइन का सुझाव देने के लिए यह आवश्यक है कि सांख्यिकीय व्यवसायियों द्वारा अस्पष्टीकृत डाक की मात्रा के आंकलन की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक

अध्ययन किया जाए। इस संदर्भ में, यह अनुभव किया गया कि वर्तमान प्रणाली के विस्तृत अध्ययन को आरंभ करने और कमियों, यदि कोई हो, को समझने के लिए तथा वर्तमान प्रणाली में सुधारों का सुझाव देने के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। एनएससी ने सिफ़ारिश की कि परस्पर स्वीकृत निबंधन और शर्तों के आधार पर आईएसआई की इच्छा को ज्ञात करने के पश्चात् डाक विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

7.21 यह भी नोट किया गया कि डाक विभाग की सांख्यिकीय इकाई में स्टाफ की कमी थी तथा विभाग भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उपयुक्त स्तर के अधिकारी की भर्ती करके इसका विस्तार करने का इच्छुक था। एनएससी ने सिफ़ारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डाक विभाग के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

7.22 यह खण्ड राष्ट्रीय स्तर पर संकलित मूल्य सूचकांकों के संबंध में आयोग के विचारों का विवरण प्रस्तुत करता है।

7.23 आर्थिक सांख्यिकी की प्रणाली में मूल्य सूचकांक वृहत् आर्थिक प्रदर्शनों के ध्यानपूर्वक अवलोकित संकेतक हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यापारों में धन की क्रय शक्ति के प्रत्यक्ष संकेतक हैं। इस प्रकार, ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अपस्फीतिकारकों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं जो उत्पादित और उपभुक्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के कुल माप उपलब्ध कराते हैं। परिणामस्वरूप, ये सूचकांक सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीति के डिज़ाइन और संचालन में महत्वपूर्ण उपकरण हैं, तथा संपूर्ण निजी क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने के लिए भी इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

7.24 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दिए गए दो समय बिन्दुओं के बीच परिवारों द्वारा उपभोग में लाई गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में अंतर को दर्शाता है। सूचकांक को संकलित करने में आने वाली कठिनाइयों से सभी परिचित हैं। एजेंटों की एक बड़ी संख्या से नियमित रूप से मूल्य डाटा का संग्रह करने में आने वाली कठिनाइयों के अतिरिक्त, हमें स्वरूप एवं गुणवत्ता दोनों संदर्भों में वस्तुओं की बदलती प्रकृति, विभिन्न मूल्य स्कीमों के प्रचलन आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं के बावजूद उपरोक्त सूचकांकों का अर्थव्यवस्था में व्यापक उपयोग किया जाता है। डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने देश में मूल्यों के संग्रह और मूल्य सूचकांकों के संकलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के विषय में व्यापक रिपोर्ट तैयार की है।

राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य सांख्यिकी (रंजराजन आयोग की रिपोर्ट से प्रस्तुत उद्धरण)

राष्ट्रीय स्तर पर, चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हैं । ये निम्नानुसार हैं :

क. औद्योगिक कर्मियों (आई डब्ल्यू) के लिए सीपीआई,

ख. कृषि श्रमिकों (ए एल) के लिए सीपीआई, ग्रामीण श्रमिकों (आर एल) के लिए सीपीआई तथा

ग. शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों (यूएनएमई) के लिए सीपीआई।

वर्तमान सीपीआई श्रृंखला समग्र ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए मूल्यों में होने वांले परिवर्तनों कोई नहीं दर्शाती है, क्योंकि उन्हें जनसंख्या के विशिष्ट खण्डों द्वारा उपभोग में लाई जा रही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, अतः समग्र ग्रामीण और शहरी जनसंख्याओं के लिए अलग-अलग सीपीआई संकलित करने की आवश्यकता है।

7.25 आयोग को मूल्य सूचकांक के संकलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से थोक मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए काफी समय हो चुका है। विभिन्न सूचकांकों यथा थोक मूल्य सूचकांक, शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई तथा डीआईपीपी, सीएसओ और श्रम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण श्रम के लिए सीपीआई को संकलित करने वाले संगठनों ने अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिए।

ग्रामीण और शहरी भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

7.26 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई - यूएनएमई) का संकलन करता है, ने एनएससी के समक्ष पहला प्रस्तुतीकरण दिनांक 20 फरवरी, 2007 को दिया था। सीपीआई (शहरी), सीपीआई (ग्रामीण) और संयुक्त सीपीआई जैसा कि रंगराजन आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था को आरंभ करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के परिणामों का उपयोग ग्रामीण/शहरी तथा अखिल भारतीय स्तर हेतु भारण आरेख तैयार करने के लिए किया जाएगा। कृषि श्रम (सीपीआई - एएल) और ग्रामीण श्रम (सीपीआई - आरएल) के लिए मूल्य सूचकांकों का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा 23 राज्यों में जारी रहेगा, जबकि प्रस्तावित ग्रामीण सूचकांक में सभी राज्य शामिल होंगे।

7.27 दिनांक 23 जनवरी, 2008 को आयोजित आयोग की 13वीं बैठक में, सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन हेतु अभी तक किए गए कार्य के संबंध में आयोग को जानकारी दी। सूचकांक के संकलन का मूल कार्य अर्थात् आउटलेट्स की पहचान हेतु भारण आरेख और बाज़ार सर्वेक्षण तैयार करना, सीपीआई (शहरी) के लिए पूरा कर लिया गया था। चूंकि वर्तमान सीपीआई (यूएनएमई) के लिए शहरी मूल्य डाटा संग्रहण तंत्र पहले से ही अस्तित्वमान था, यह बताया गया कि वर्तमान सीपींआई (यूएनएमई) के साथ नए शहरी सूचकांक के समांतर संचालन हेतु अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी। तथापि, एनएसएसओ के पास उपलब्ध जनशक्ति

संसाधनों की कमी को देखते हुए, इसे व्यवहार्य नहीं माना गया। अतः यदि वर्तमान सीपीआई (यूएनएमई) को नए सीपीआई (शहरी) से प्रतिस्थापित कर दिया जाता, तो इस समस्या का निवारण किया जा सकता था, बशर्ते उस अंतराल के दौरान, जब सीपीआई (यूएनएमई) को ***बंद कर दिया गया था और नया सूचकांक तैयार नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर एक*** वैकल्पिक रूप से तैयार सूचकांक उपलब्ध कराया जाता। चूंकि सीपीआई (यूएनएमई) के प्रयोगकर्ता काफी कम हैं और सीपीआई (शहरी) राष्ट्रीय सीपीआई को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, अतः आयोग ने सीपीआई (यूएनएमई) को बंद करने का अनुमोदन किया जिससे संसाधनों का अपवर्तन प्रस्तावित सीपीआई (शहरी) की ओर किया जा सके। आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि एनएडी को अखिल भारतीय स्तर पर एक संपर्क कारक उपलब्ध कराना चाहिए जिससे इस अवधि के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई (यूएनएमई) और अखिल भारतीय सीपीआई (आईडब्ल्यू) को जोड़ा जा सके।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)

7.28 दिनांक 23 जनवरी, 2008 को आयोजित आयोग की 13वीं बैठक में, उस अंतराल के दौरान जब सीपीआई (यूएनएमई) को बंद कर दिया जाएगा और प्रस्तावित सीपीआई (यू) को जारी किया जाएगा, अखिल भारतीय स्तर पर एक संपर्क सूचकांक उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीएसओ का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अखिल भारतीय सीपीआई (यूएनएमई) और अखिल भारतीय सीपीआई (आईडब्ल्यू) का उपयोग करते हुए वैकल्पिक संपर्क सूचकांक के परिकलन की एक प्रणाली आयोग के समक्ष रखेगा।

7.29 तद्नुसार, सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने संपर्क सूचकांक के परिकलन में प्रयुक्त होने वाली दो पद्धतियों - अनुपात एवं प्रतिगमन पद्धतियों के परिणामों को आयोग के समक्ष रखा। चूंकि सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई श्रृंखला जनवरी, 2006 से उपलब्ध थी, वर्ष 2006 और 2007 के लिए परिणाम सीपीआई (आईडब्ल्यू) और सीपीआई (यूएनएमई) के पिछले चौबीस महीनों के डाटा पर आधारित थे। दोनों पद्धतियों से प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2006 और 2007 के लिए सामान्य सूचकांक स्तर पर सीपीआई (आईडब्ल्यू) डाटा का प्रयोग करते हुए परिकलित सीपीआई (यूएनएमई) अनुमान वास्तविक सीपीआई (युएनएमई) डाटा के काफी निकट थे।

7.30 आयोग ने इस बात पर विचार किया कि संपर्क पद्धति को सीपीआई (यूएनएमई) के अधिमानों का प्रयोग करने वाली अनुपात पद्धति अथवा साधारण प्रतिगमन पद्धति पर आधारित होना चाहिए। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् आयोग ने सिफ़ारिश की कि (i) सीपीआई (यूएनएमई) अधिमानों का उपयोग करने वाले सीपीआई (आईडब्ल्यू) के उप-समूह स्तरीय सूचकांकों को एकत्र करने के पश्चांत् अनुपात पद्धति पर आधारित संपर्क सूचकांक को स्वीकार किया जाए, क्योंकि प्रयोगकर्ताताओं के लिए इसे समझना संरल है; तथा (ii) वर्तमान सीपीआई (यूएनएमई) श्रृंखला को बंद कर दिया जाए। आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क कारक और संपर्क सूचकांक तैयार करने के लिए निम्नलिखित पद्धति की सिफ़ारिश की :-

- जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2007 तक दो वर्षीय अवधि हेतु प्रत्येक माह के लिए, उप-समूह स्तर पर सीपीआई (यूएनएमई) अधिमानों तथा उप-समूह स्तर पर सीपीआई (आईडब्ल्यू) संख्याओं का उपयोग करते हुए (सीपीआई (यूएनएमई) और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के उप-समूहों को तुलनीय बनाने के पश्चात्), संश्लिष्ट सीपीआई (यूएनएमई) संख्याएं प्राप्त की जानी हैं।
- प्रत्येक उप-समूह, समूह एवं समस्त समूहों में सीपीआई (यूएनएमई) और संश्लिष्ट सीपीआई (यूएनएमई) के माहवार अनुपातों को संकलित किया जाना है।
- जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, संबंधित समूह/उप-समूह स्तर पर 24 महीनों के आंकड़ों पर आधारित प्रत्येक स्तर के औसत अनुपात को संपर्क कारक के रूप में माना जाएगा।
- समूह/उप-समूह स्तर पर संपर्क कारक सीपीआई (यूएनएमई) अधिमानों का उपयोग करके तैयार किए गए सीपीआई (आईडब्ल्यू) समूहों/उप-समूहों और संपर्क सूचकांक पर लागू होगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक नया सीपीआई (शहरी) तैयार न हो जाए।

7.31 जहां तक सीपीआई (ग्रामीण) का प्रश्न है, आयोग को सूचित किया गया कि कृषि श्रम और ग्रामीण श्रम सूचकांक के लिए 20 राज्यों में वर्तमान क्षेत्र विस्तार के स्थान पर समग्र राष्ट्र को शामिल करते हुए सीपीआई (ग्रामीण) का संकलन करने का प्रस्ताव था। किंतु यद्यपि भारण आरेख तैयार है, आवश्यक जनशक्ति संसाधनों की अनुपस्थिति में बाज़ार सर्वेक्षण अभी आरंभ किया जाना था।

7.32 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संबंध में एनएससी की सिफ़ारिशें महानिदेशक, सीएसओ तथा अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) को दिनांक 4.3.2008 को पत्र सं.4(14)/2008-एनएससी के जरिए अग्रेषित कर दी गई।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सांख्यिकीय पैकेजों का प्रयोग

7.33 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और उसके संबद्ध संगठनों में सांख्यिकीय कार्य के लिए विभिन्न सांख्यिकीय पैकेजों के उपयोग की आवश्यकता पर एनएससी द्वारा विचार किया गया। आयोग ने सिफ़ारिश की कि आईएसएस अधिकारियों को, विशेष रूप से जो एनएसएसओ में सर्वेक्षण डाटा विश्लेषण का कार्य कर रहे हैं तथा अन्य जो दूसरे स्थानों पर विश्लेषणात्मक कार्य कर रहे हैं, सांख्यिकीय पैकेजों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्याय-VIII

आयोग के संबंध में हुआ व्यय

8.1 चूंकि एनएससी दिनांक 12 जुलाई, 2006 को अस्तित्व में आया, अतः वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में कोई बजट आवंटन नहीं था। तथापि, शीर्ष-3451, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सचिवालयी आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमान में 65.45 लाख रु. का बजटीय प्रावधान किया गया।

8.2 वर्ष 2007-08 के लिए, बजट अनुमान में 64.70 लाख रु. के बजट का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में संशोधित अनुमान में 64.55 लाख रु. कर दिया गया।

8.3 एनएससी सचिवालय के किसी भी अधिकारी को एनएससी के कार्यकलापों के संबंध में व्यय करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अतः जिस अधिकारी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभाग प्रमुख की शक्तियां सौंपी गई हैं, उन्हें एनएससी के कार्यकलापों के संबंध में व्यय करने का अधिकार दिया गया है।

8.4 यह रिपोर्ट दी गई कि एनएससी सचिवालय के संचालन, अध्यक्ष और सदस्यों की घरेलू यात्रा तथा कार्यालय उपस्करों की प्राप्ति आदि से संबंधित व्ययों के लिए उपभोक्ता शीर्ष के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 35.81 लाख रु. तथा 2007-08 के दौरान 57.77 लाख रु. का व्यय किया गया।

आभार

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग विभिन्न क्षेत्रों के उन सभी विशेषज्ञों, सरकारी विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता है, जिनके साथ इसने अपने कार्य के दौरान परस्पर चर्चा और विचार-विमर्श किया। उनकी सहभागिता और सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करना संभव नहीं होता।

आयोग डॉ. प्रणव सेन, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को विशेष धन्यवाद देता है, जिनकी एनएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ हुई निरंतर चर्चाओं और तत्संबंधी सुझावों ने एनएससी की सिफ़ारिशों को तैयार करने में अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाई।

आयोग श्री पी.सी. मोहनन, उप महानिदेशक और एनएससी सचिवालय के अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा दी गई सेवाओं की भी प्रशंसा करता है, जिन्होंने समस्याओं की पहचान करने और विभिन्न लंबित विषयों के संबंध में लगातार अनुवर्ती कार्यवाही करने में योगदान दिया और इस प्रकार इन विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने में एनएससी की सहायता की।

(डॉ. सुरजीत एस. भल्ला)
सदस्य

(डॉ. अमिताभ कुण्डु)
सदस्य

(डॉ.पद्म सिंह)
सदस्य

(प्रो. बिकास सिन्हा)
सदस्य

(डॉ. सुबास पाणि)
सचिव, योजना आयोग
पदेन सदस्य

(प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर)
अध्यक्ष

Annual Report 2007-08

The National Statistical Commission have the privilege to present their Second Report as required under the Government of India Resolution dated 1st June 2005 published in the Gazette of India Extraordinary Part-III Section - 4 (Appendix-I).

This Report covers the period from April 01, 2007 to March 31, 2008, as also a brief account of the recommendations made by the Commission since its inception.

National Statistical Commission
New Delhi

List of Abbreviations

CSO	Central Statistical Organization
CSI	Chief Statistician of India
DG	Director General
DIPP	Department of Industrial Policy and promotion
IIP	Index of Industrial Production
IT	Information Technology
ISI	Indian Statistical institute
MoS&PI	Ministry of Statistics and Programme Implementation
NSSO	National Sample Survey Office
NSC	National Statistical Commission
NSO	National Statistical Organisation
NAS	National Accounts Statistics
NAD	National Accounts Division
SCIS	Standing Committee on Industrial Statistics
SSB	State Statistical Bureau
WPI	Wholesale Price Index
CPI	Consumer Price Index
CPI (IW)	Consumer Price Index (Industrial Workers)
CPI (UNME)	Consumer Price Index (Urban Non-Manual Employees)
CPI (U)	Consumer Price Index (Urban)
CPI (R)	Consumer Price Index (Rural)
CPI (AL)	Consumer Price Index (Agricultural Labour)
CPI (RL)	Consumer Price Index (Rural Labour)

Chapter-I

Composition of the National Statistical Commission

1.1 The National Statistical Commission consists of a part-time Chairman and four part-time Members. Besides, Secretary, Planning Commission is an *ex-officio* member of the Commission and the Chief Statistician of India (CSI) is the Secretary to the Commission. Till the post of the CSI was filled up, the Secretary, Government of India in the Ministry of Statistics and Programme Implementation functioned as the Member-Secretary to the Commission.

1.2 The Commission was constituted on 12th July 2006 with Prof. Suresh D. Tendulkar as part-time Chairman and Dr. Padam Singh, Dr. Surjit S. Bhalla, Prof. Amitabh Kundu and Prof. Bikas Sinha as part-time Members.

1.3 The part-time Chairman and part-time Members have been in position since 12th July 2006 and during the entire period under report.

1.4 Secretary, Government of India in the Ministry of Statistics and Programme Implementation functioned as the *ex-officio* Member Secretary of the Commission till 20th February 2007 after which Dr. Pronab Sen took over as the Chief Statistician of India (CSI) and Secretary to the Commission. Dr. Pronab Sen has functioned as the Secretary to the Commission since then.

Chapter-II

Executive Summary

2.1 The National Statistical Commission (NSC) has been considering various statistical issues through consultation with experts in different fields and Government Departments at the Centre and in the States. The Commission held 15 meetings till 31st March 2008.

2.2 The main recommendations made by the NSC during 2006-07 were the taking over the functions of the Governing Council of the NSSO through a Steering Committee reporting to it, recommending introduction of the Collection of Statistics Bill, 2007 in the Parliament to strengthen the data collection machinery in the country, reconstituting the Standing Committee on Industrial Statistics, prescribing the role and functions of statistical advisers in Central Ministries and States, and clearing the 11th Plan proposals of the MoS&PI including the India Statistical Strengthening Project.

2.3 Many important issues, such as infrastructure statistics, core statistics, statutory framework for the NSC, improving the survey reports of NSSO, issues relating to Wholesale Price Index and monitoring the implementation of the Rangarajan Commission recommendations have been under the examination of the NSC. This is a continuous process.

2.4 During the year 2007-08, the NSC recommended further study on the issue of population underestimation in the NSS surveys, setting up of a high level committee on savings and investments and recommending compilation of two consumer price indices - one for rural India and the other for urban India. The NSC also gave its views to the Department of Posts and the Department of Administrative Reforms on the statistical issues referred by them.

Chapter-III

Brief History

Constitution of the Statistical Commission

3.1 The Government of India had set up a National Statistical Commission under the Chairmanship of Dr C. Rangarajan, the then Governor of Andhra Pradesh in January 2000 to review the official statistical system of the country. The Commission submitted its recommendations in August 2001 and had *inter alia* recommended the establishment of a statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country and to evolve monitor and enforce statistical priorities and standards and ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission had also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority to evolve legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function.

3.2 In line with the these recommendations of the Rangarajan Commission, the Government of India issued a Resolution on 1st June, 2005 (Appendix-I) for the setting up of a National Statistical Commission (NSC) consisting of a part-time Chairman, four part-time Members and Secretary, Planning Commission as an *ex-officio* member and the Chief Statistician of India (CSI) as the Secretary to the Commission. Till the post of CSI is filled up, Secretary, Government of India in the Ministry of Statistics and Programme Implementation would be the Member-Secretary to the Commission.

3.3 The Government Notification dated 8th May, 2006 on the service conditions of the Chairman and Members of the NSC and the CSI is given at Appendix-II.

Selection of Chairman and Members of the Commission and the Chief Statistician of India

3.4 The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) were selected on the basis of the recommendations of a Search Committee that consisted of:

(i) Dr. Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission – Chairperson ;

(ii) Dr. Rakesh Mohan, Deputy Governor, Reserve Bank of India –Member ;

(iii) Dr. Shankar Kumar Pal, Director, Indian Statistical Institute, Kolkata – Member ; and

(iv) Dr. K.L. Krishna, Former Professor, Delhi School of Economics, New Delhi – Member.

3.5 The Search Committee finalised its recommendations and accordingly the Government of India appointed the following persons as Chairman and Members vide order No.No.R-16025/3/2005-NSC dated 3rd July, 2006 (Appendix-III).

(i) Prof. Suresh D Tendulkar, Chairman

(ii) Dr. Surjit S. Bhalla, Member

(iii) Dr. Amitabh Kundu, Member

(iv) Dr. Padam Singh, Member

(v) Prof. Bikas Sinha, Member

3.6 The Commission formally assumed charge on 12th July, 2006. Dr Pronab Sen was appointed as Chief Statistician of India and Secretary to the Commission on 21st February, 2007.

Terms of reference of the Commission

3.7 The Government resolution dated 1st June, 2005 (Appendix-I) gives the following as the functions of the Commission:

(a) to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;

(b) to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;

(c) to evolve national policies and priorities relating to the statistical system;

(d) to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay down national quality standards on core statistics;

(e) to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;

(f) to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;

(g) to evolve measures for improving public trust in official statistics;

(h) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;

(i) to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;

(j) to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products;

(k) to recommend to the Central Government, or any State Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h);

(l) to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission;

(m) to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies and recommend measures for enhanced performance.

Chapter-IV

Working of the Commission

4.1 The setting up of the NSC is the fulfillment of one of the key recommendations of the Dr. Rangarajan Commission. The report of Rangarajan Commission clearly brings out the deficiencies in the Indian Statistical System with respect to adequacy, timeliness and credibility. These, in turn, reflect failure to meet the demands and expectations of the Government, academia, the public and the international users of the Statistical System fully recognizing that the expectations depended on the current status and might go up in due course. Adequacy refers to the usability of the existing output of the system to meet the demands of government policy, business and the general public. Timeliness refers to not only reducing the delay in bringing out official statistics, but also to the responsiveness of the system to meet on time contingent and emerging needs. The third aspect viz., credibility, combines public perceptions on acceptability, usability and reliability. The NSC is expected to play a guiding and reforming role in revamping the decentralized Indian official Statistical System. The Commission is to formulate its short and long-term programmes to achieve the foregoing tasks in the coming days.

4.2 The present Secretariat to the Commission comprises only two officers of the Indian Statistical Service, one of SAG level and the other of JAG level, with other support staff. A copy of the order of the Ministry of Finance, Department of Expenditure on the sanction of staff strength for the NSC Secretariat is given at Appendix-IV.

Details of Commission's meetings

4.3 The Commission since its inception has been holding meetings regularly to deliberate on the issues referred to it and on various issues covered under its mandate. Besides,

the Commission also had consultations and in-depth meetings with various Government Departments and Organisations in the States and at the Centre on issues relating to the national statistical system.

4.4 The Commission held fifteen meetings since its inception till March, 2008. Nine of these meetings were held during 2006-07. The remaining six meetings were held during 2007-08. The dates on which the six meetings were held are indicated below.

S. No. of Meeting	Date of Meeting
10	12th June 2007
11	21st August 2007
12	27th Nov. 2007
13	23rd January 2008
14	15th February 2008
15	26th March 2008

4.5 Minutes of each meeting of the Commission are recorded and circulated to all the Members and the same are finalised in the subsequent meeting after receiving their views.

4.6 The NSC submitted its first Annual Report for the financial year 2006-07 to the MoS&PI and the Report was tabled in the Lok Sabha on 5-12-2007 and in the Rajya Sabha on 6-12-2007.

Chapter-V

Recommendations made by the NSC during 2006-07

Taking over the functions of the Governing Council of NSSO by the NSC

5.1 The National Sample Survey Organisation (NSSO) was constituted as per Govt. of India Resolution No.DS/STS/4-69 dated 5.3.1970. Under this resolution, the activities of the NSSO were guided by a Governing Council with requisite independence and autonomy to ensure that the collection, processing and tabulation of National Sample Survey data are free from undue influence. The Governing Council was provided full authority to formulate the short term and long term programmes of NSSO that include the choice of subjects or items on which data are to be collected; sample design; tabulation plan of data; processing, analysis and publication of the data. The Governing Council consisted of 18 members, including the Chairman. Immediately preceding the constitution of the NSC, the Governing Council with Prof. Suresh D. Tendulkar as its Chairman was approved by the Central Government in November 2004 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

5.2 Since the NSC became operational as the highest policy making body in the national statistical system with requisite autonomy, the mandate of the Commission made it imperative that the NSC would be having overriding powers in all matters connected with core statistics including NSS. In view of this, it was felt that the Governing Council of NSSO would have no role to play, as the NSC would take over all its functions. The NSC would formulate the short term and long-term programmes of National Sample Surveys; decide on the subject matter to be taken up in different surveys. To advise and assist it on various technical issues, the NSC may constitute professional committees or working groups.

5.3 The NSC on consideration of the above facts recommended to the Government that since the NSC had come into existence as an independent professional body with requisite autonomy and has the requisite authority as per the Resolution of the Government dated 1st June 2005 (Appendix-I) and the NSSO has been brought under its umbrella, the Governing Council of NSSO would not be needed and that a Steering Committee reporting to the Commission would be formed to take over the functions performed by the Governing Council of the NSSO. This recommendation of the NSC was accepted by the Central Government, and the Governing Council of NSSO was dissolved.

Constitution of Steering Committee

5.4 The Commission recommended constitution of a Steering Committee for the NSSO with a term of three years with the following composition and terms of reference.

Chairman and Co-Chairman

i. Prof. Suresh D. Tendulkar, Chairman, NSC will be the Chairman of the Steering Committee
ii. Prof Amitabh Kundu, Member, NSC will be the Co-chairman

(Other Members of the Commission may attend the meetings of the Steering Committee as and when necessary)

Non-Official Members

iii. Dr. S. Radhakrishna, Director, IGIDR
iv. Prof S. P. Mukherjee, Retired Professor of Statistics, Calcutta University
v. Prof. K. Sundaram, Delhi School of Economics
vi. Dr. Shubhashis Gangopadhyay, India Development Forum

vii. Prof. Dipankar Coondoo, retired Professor of Economics ISI, Kolkata

viii. Prof. T. J. Rao, retired Professor of Statistics, ISI, Kolkata,

Official Members

(i) DG, NSSO – Convener

(ii) DG, CSO

(iii) Addl. DGs of Field Operations Division, Data Processing Division and Survey Design and Research Division of NSSO

(iv) Representative of the Planning Commission to be nominated by Secretary, Planning Commission

(v) Two representatives form the State Governments on rotation, each for a term of two years

Terms of Reference for the Steering Committee

a. Make recommendations to the NSC in respect of the following

(i) Short term and long term programme for National Sample Surveys including topics of surveys, periodicity, and subjects to be covered.

(ii) Methodological improvements in the conduct of National Sample Surveys.

b. Finalize the sample design, concepts and definitions, questionnaires, tabulation plans, etc. for specific rounds of Sample Surveys.

c. Prepare studies for improving survey methodology, data collection, processing, and dissemination and any other issue as may be referred to it by the Commission.

d. Approve the survey reports for release.

e. The Steering Committee may constitute Expert Groups for any specific technical issue that requires expertise beyond the core competency of the Steering Committee.

5.5 The Working Groups and Sub-groups formed for specific issues and NSS Rounds by the Governing Council were allowed to continue and complete the tasks assigned to them and report to the Steering Committee of the NSC.

Supply of Unit Level Data of NSS

5.6 The Commission considered the request for unit level data of 61st round to the High Level Committee of the Prime Minister on the 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community in India', before its formal release to the public. Considering the urgency and importance of the matter, the Commission recommended that the unit level data from the 61st round of NSS would be made available to the High Level Committee with conditions which would cover areas concerning data sharing, confidentiality of data and its provisional nature.

5.7 Commission deliberated on the availability of the results of the 61st Round of NSS on Consumer expenditure and Employment-Unemployment survey in a few meetings. There was concern as to why the results could not be released earlier in view of the national interest in the findings of this survey. In view of the fact that the data dissemination was guided by the National Data Dissemination Policy framed in 1999, the Commission was of the view that the proposed Statistics Legislation on the National Statistical Commission and other aspects of the Statistical System should also cover the data dissemination aspect.

Amending the Collection of Statistics Act

5.8 The Collection of Statistics Act, 1953 (Act 32 of 1953) is an enabling legislation by which the Central Government as well as the State Governments could make

declarations through Official Gazette of their intentions to collect statistical data from various industrial and commercial concerns by appointing a Statistics Authority for conducting the survey operations and exercising various powers and duties under the Act. The Statistics Authority is expected to issue a notice in writing to the owners/ occupiers of enterprises requiring them to furnish information within the time period specified in the notice. The Act confers the right of access to relevant records or documents and restricts publication of any information disclosing the identity of the concern. It also provides for certain penalties for willfully refusing to furnish or furnishing of false information. There are also penalties specified in the Act to persons engaged in data collection for violating the secrecy provisions in the Act.

5.9 The provisions of the Collection of Statistics Act have so far been effectively used in conducting the Annual Survey of Industries (ASI) by the MoS&PI for collecting information on input, output and employment from some of the units registered under Factories Act, 1948 and Beedi & Cigar workers (conditions of employment) Act, 1966. It was reported that nine State Governments, viz., Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu have made rules under the Act to collect data in areas not covered by the Central Government. Besides, the Office of Coal Controller has been collecting information on coal mines under the provisions of the Collection of Statistics Act.

5.10 The limitations of the Collection of Statistics Act 1953 were studied at length by the National Statistical Commission appointed by the Central Government under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan. Their observations are given below.

(i) The Collection of Statistics Act, 1953 has been serving at present only the limited purpose of ASI, which covers a part of the whole industrial sector. There are a large number of industries in the small-scale sector, which are excluded from the scope of ASI. Similarly, there is also a large industrial

activity in the unregistered informal or household sector which is out of ASI purview though it plays a highly significant role by way of feeding the larger units as well as producing value added goods for non-industrial consumers. Although there is a scope under Section 2 (b) of the Act to cover all "commercial concerns", but this is not being done so far. Moreover, it is important to reiterate the emerging trend of realities, for example, taking account of High-tech sectors such as IT, bio-technology, food processing as well as to accommodate services sector whose share in the economy is rapidly growing. For catalyzing the development in these industries and related sectors, the data obligations must flow out of the provisions of Act.

(ii) Even where an Act such as Collection of Statistics Act, 1953 exists with provision for prosecution, there are non-response cases. This is largely due to meager penalty of a maximum fine of Rs.500/-, which though theoretically extends to cause a fine of Rs.200/- per day on default beyond a certain period but that has almost never been imposed. So the Act in such cases hardly serves the purpose and becomes counter-productive. This is despite the fact that the factories covered under ASI are statutorily obliged to furnish the required data in the prescribed format.

5.11 The Rangarajan Commission also recommended that necessary legal provisions should be made either by expanding the scope of the present Collection of Statistics Act (1953) or by passing new Act or Acts to:

(a) cover any topic under Core Statistics, as defined by the proposed NSC;

(b) make it obligatory on the part of individuals, or enterprises, or State and private agencies to provide the information sought for any survey under the aegis of the NSC;

(c) provide right of access to records, including the record of Government agencies for statistical purposes;

(d) ensure the informant's right to privacy by making it illegal to publish the identity of the informant, or by requiring him to furnish sensitive information;

(e) provide penalties for informants, for their refusal to supply, or for wilfully supplying wrong information; and

(f) make it a penal offence for a statistical officer authorised to collect, process, or disseminate information collected from any survey under the Act, to wilfully distort or manipulate the data.

5.12 On the basis of the aforesaid recommendations of the Rangarajan Commission, the MoS&PI prepared a draft Bill, namely, the Collection of Statistics Bill, 2007, in consultation with the Government Departments at the Centre and in the States.

5.13 The draft Bill *inter alia* seeks to repeal the Collection of Statistics Act, 1953 and also bring in certain new features, some of which are detailed below.

- The scope would be enhanced to collect all kinds of statistics not only from industrial/ commercial concerns but also from individuals and households.
- The local self-governments such as Panchayats and Municipalities would be empowered to collect statistics.
- Any Government Department/ Organisation either in the States or at the Centre or in the local self-government could appoint a Statistics Authority for each subject of data collection and/ or for each geographical unit.
- Necessary provisions have also been made for ensuring support to any Statistics Authority in terms of providing necessary inputs, manpower etc., in the proposed bill.
- The Central Government would be empowered to make rules for avoiding unnecessary duplication of data collection programmes.
- All methods of data collection including oral interviews and filing of returns electronically have been covered.
- The penalties and the procedures for prosecution have been rationalized.

Summary conviction has been introduced to quicken the process of prosecution.

- Appropriate enabling provisions have also been proposed in the Bill for notifying certain subjects of national importance as 'core statistics', for the purpose of ensuring methodological standards, timeliness, credibility and completeness.

5.14 The Commission had detailed discussions on the Bill in the fourth and fifth meetings. The Commission noted in the fourth meeting that the Collection of Statistics Bill was in an advanced stage and the Bill for the National Statistical Commission was to be drafted afresh. Commission recommended that while there should be convergence of both the Bills to strengthen the data collection machinery and the statistical system, these two legislations may be moved separately.

5.15 The Government of India on the basis of the aforesaid recommendations of the NSC introduced the Collection of Statistics Bill, 2007 in the Rajya Sabha on 17th May 2007.

Review of the status of various Working Groups, Standing Committees, Task Forces, Expert Committees under the Statistics Wing of the MoS&PI

5.16 The Commission reviewed the status of various technical groups/ Task forces and Committees under the Statistics Wing of the MoS&PI. The MoS&PI constituted a Standing Committee on Industrial Statistics (SCIS) on 24th March 2000 under the Chairmanship of Prof.K.L.Krishna with the following terms of reference.

(a) Review the system existing in India for collection, compilation, tabulation and dissemination of Industrial Statistics in all its form and content with special reference to the Annual Survey of Industries.

(b) Review of statutory support for Industrial Statistics: and

(c) Review the role of different organizations in Government set up on Industrial Statistics.

5.17 The SCIS met fourteen times. In most of the meetings, issues relating to the Annual Survey of Industries (ASI) and the Index Number for Industrial Production (IIP) were discussed and the recommendations of SCIS were found to be either implemented or were under the process of implementation by the concerned Depts./ Organisations.

5.18 Three Sub-Groups/ Sub-Committees of SCIS were functioning - one under the chairmanship of Prof.C.P.Chandrasekhar on IIP related issues, other under the chairmanship of Dr.N.S.Sastry for detailed examination of the results of ASI and IIP and third under the chairmanship of Dr.S.K.Nath on collection, compilation, tabulation and dissemination of industrial statistics.

5.19 Immediately preceding the constitution of the NSC, the MoS&PI took steps to reconstitute the SCIS with the following composition, the terms of reference being the same.

(1)	Prof. K.L.Krishna	Chairman
(2)	Prof. Arijit Chaudhuri	Member
(3)	Prof. C.P. Chandrasekhar, JNU, New Delhi	Member
(4)	Shri M.Neelakantan	Member
(5)	DG, CSO	Member
(6)	DG & CEO, NSSO	Member
(7)	DG, Labour Bureau	Member
(8)	ADG, NSSO (FOD)	Member
(9)	ADG, CSO (NAD)	Member
(10)	Economic Adviser, DIPP, M/o Industry & Commerce	Member

(11)	Addl. Development Commissioner & Economic Adviser, DCSSI, New Delhi	Member
(12)	Planning Adviser, North Eastern Council, D/o NER	Member
(13)	Head of one of the participating (in ASI) State Statistical Bureau other than from NE Region by rotation every two years	Member
(14)	Head of one of the non-participating (in ASI) State Statistical Bureau other than from NE Region by rotation every two years	Member
(15)	ADG, CSO (ISD)	Member Secretary

5.20 It was also decided by the MoS&PI that the non-official members (S. Nos. 2 to 4 above) would have a tenure of 3 years and the Chairman would have a 5 year tenure and that the representation of members from SSBs by rotation (S. Nos. 13 & 14) would be decided by the Member Secretary in consultation with the Chairman. It was further decided by the MoS&PI that the existing provision that SCIS may co-opt any expert to assist it may continue and that the cost of meetings and payments to non-official members would be met by CSO, as the Secretariat would be with CSO rather than NSSO (FOD).

5.21 The MoS&PI could not notify the above decisions because Prof. K.L.Krishna did not agree to continue as the Chairman. Consent to continue as Member in the SCIS was also not received by the MoS&PI from Prof. C.P. Chandrasekhar and Prof. Arijit Chaudhuri.

Reconstitution of the SCIS

5.22 After considering the above facts, the NSC decided to reconstitute the SCIS with Prof. Biswanath Goldar, Professor, Institute of Economic Growth as its Chairman.

Besides Prof. Goldar, the SCIS will have Shri R Nagaraj and Dr. S L Shetty as non-official expert members. Official members of the SCIS would continue as at present in the reconstituted SCIS. The two Sub-Committees of the SCIS under the Chairmanship of Dr. S. K. Nath and Dr. N. S. Sastry would continue till they submit their recommendations to the SCIS. Further, it was decided that the Technical Advisory Committee for Index of Services Production under the Chairmanship of Prof. C. P. Chandrasekhar would function independently of the SCIS.

Advisory Committee on National Accounts Statistics

5.23 The NSC recommended reconstitution of the Advisory Committee on NAS with Prof. K. Sundaram as the Chairman and the following persons as non-official members.

i. Prof. B. B. Bhattacharya, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University
ii. Dr. S. L. Shetty, Economic & Political Weekly Research Foundation
iii. Prof. Ashima Goyal, Indira Gandhi Institute for Development Research
iv. Prof. Sanghamitra Das, Indian Statistical Institute
v. Shri R. P. Katyal
vi. Shri Pratap Narain
vii. Shri Naresh Kumar

Formation of a Working Group for 64th round of NSS

5.24 The Governing Council of NSSO had recommended Prof. K. Sundaram of Delhi School of Economics to be the Chairman of the 64th round of NSS earmarked to survey on the subjects of participation and expenditure in education, employment-unemployment & migration and consumer expenditure. However, the full working group could not be constituted by the Governing Council of NSSO.

5.25 The Commission recommended the following non-officials to be included in the Working Group, besides the Chairman.

i. Prof. T. C. A. Anant, Delhi School of Economics
ii. Prof. J.B.G. Tilak, National Institute of Educational Planning and Administration
iii. Prof. Samir Guha Roy, Ex-Professor, Population Studies Unit, ISI, Kolkata
iv. Prof. Mari Bhat International Institute of Population Studies, Mumbai (Prof. Mari Bhat, who made valuable contributions to the Working Group passed away on 30th July, 2007).

Role of Statistical Advisers in Central Ministries and States

5.26 Among other things the NSC is mandated (i) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territories Administrations on Statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms (ii) to exercise statistical coordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government.

5.27 The Rangarajan Commission stressed the need to strengthen the statistical coordination in the Government Departments at the Centre and in the States. Relevant extract of the Rangarajan Commission report is given below.

"14.5.21 At present there is no institutional mechanism through which the MoS&PI can effectively coordinate with different ministries at the Centre in statistical matters. The Commission is of the view that heads of the statistical divisions in the ministries and departments should be responsible for the professional integrity in the statistical activities of their departments and improvement of these activities. In discharging their responsibility, they will work closely with the National Statistician as the head of the national statistical system. They will be responsible to the National

Statistician for the professional quality of their work. They will collaborate with the National Statistician in their professional responsibilities while remaining in the administrative organisation of their ministries or departments. The heads of the statistical divisions, to be designated as Statistical Advisers, would thus have dual responsibilities – assisting the concerned ministry in matters of statistics and coordinating with the National Statistician in respect of maintenance of quality standards as laid down by the NCS. Considering the high level of responsibility of their posts, the Commission recommends that the Statistical Advisers in the major ministries or departments, such as Agriculture, Industry, Commerce, Finance, Health, Water Resources, etc. would be of rank one step below the National Statistician, while in other ministries and departments, the Statistical Advisers should be of a sufficiently high rank. The Statistical Adviser would:

(a) Be designated as the 'Nodal Officer' with regard to all statistical matters pertaining to the ministry or department;
(b) Assist the Secretary of the administrative ministry or department in all statistical matters;
(c) Be associated closely with the National Statistician in implementing the guidelines outlined by the NCS;
(d) Coordinate flow of information to and from the NSO.

14.5.22 The close vertical coordination between the Statistical Divisions of the ministries of the Government of India and those of the departments of the State Governments, and between the CSO and the State Directorate of Economics and Statistics (DES), has been the strength of the decentralised Indian Statistical System. The weakness of the lateral coordination so far at the Centre between the CSO and the Government of India ministries had also led to weak lateral coordination in the States (where the statistical system is not fully centralised) between the State's DES and the statistical units of the departments. The system did not formally provide for a review by the DES of the content and methodology of the statistics collected by other State Government departments.

14.5.23 With the creation of the NCS and establishment of an NSO that will have a wider role than that of the present CSO, the lateral coordination at the Centre between the NSO and Central Ministries will greatly improve with a much more cohesive approach to the statistics of the ministries. The new institutional arrangement will not however loosen the present strong ties of vertical coordination between the CSO and Government of India, ministries on the one hand and the DES and State Government departments on the other. On the contrary, it should lead to a strong lateral coordination at the level of the States.

14.5.24 To ensure that this takes place, the existing coordination of the State DES should be widened to cover technical coordination. The Directorates of Economics and Statistics should be formally entrusted with the responsibility for a periodic review of the content, methodology and output of the statistics of all State departments and to make suggestions for the further improvement of these statistics. The Conference of Central and State Statisticians should be held regularly. A similar forum for a meeting of State Departmental Statisticians should be created by the State Governments to review the performance of the statistical system of each State. The report of the review and the suggestions may be forwarded by the DES to NSO and by the departments to the corresponding ministries, for action at the Centre.

14.5.25 The enhanced role of the DES and the wider technical discussion of the State's Statistics will help State Governments take a holistic view of the State's Statistical system to enhance its utility to the State Governments and indirectly to achieve the same result at the Centre.

14.5.26 The Commission recommends that a Centrally-sponsored scheme for strengthening the statistical system in the States be drawn up immediately for inclusion in the Tenth Five Year Plan, with the specific objectives of developing a survey and data-processing capability in the States."

5.28 The MoS&PI had undertaken a cadre review of ISS officers and as a part of this exercise provided senior officers of the rank of Addl. Secretary/ Joint Secretary in about 20 Ministries/ Departments at the Centre and Officers of the rank of Joint Secretary in about 20 States. It was intended by the MoS&PI to utilise their services for improving lateral coordination and achieving the goals set by NSC from time to time and accordingly placed a proposal before the NSC to define their role and functions.

5.29 The Commission went into the proposal to designate the Senior ISS officers posted in the Ministries/ Departments consequent to the Cadre review as nodal Officers with regard to all statistical matters and functions pertaining to the Ministry/ Department. The Commission recommended that these Statistical Advisers would be accountable to the Chief Statistician of India (CSI) on all core statistics. Further the reporting procedure for the Statistical Advisors in respective Ministries/ Department may be left to the Ministry/ Department. Broadly they will perform the following coordinating functions besides their work in the Administrative Ministry/ Department:

- coordinate with Chief Statistician of India (CSI) in the implementation of guidelines outlined/ issued by National Statistical Commission on statistical matters
- provide information/data/statistics as may be needed by the Ministry of Statistics as the nodal Ministry for Statistics;
- be responsible to the CSI in matters of core statistics and implement all the guidelines on 'core statistics' given by the National Statistical Commission
- Inform the CSI on the demands for more information/ data through surveys or other theoretical methods
- advise and monitor the sharing of information among Centre and States and avoid duplication
- advise CSI on HRD issues pertaining statistical personnel of the Ministry/ Department

5.30 ISS officers posted in different States in the level of Joint Secretary and Director would perform the functions as below.

- advise and monitor the conduct of surveys on 'core statistics' in the State
- Coordinate the sharing and flow of information between Centre and State on statistical matters
- ensure follow-up action on the recommendations of NSC to the State
- ensure follow-up action on the decisions taken in the Conferences of Central and State Statistical Organisations
- assess and advise on the training needs of statistical personnel in the Sub-ordinate Central/ State Statistical officers/ staff in the State and
- Coordinate between CSI and the State Statistical Bureau (SSB) of the State in respect of quality standards on official statistics in both core statistical and others originating from the State Governments

5.31 The Commission recommended that the MoS&PI may take suitable steps to institutionalize the coordinating and nodal role of the Statistical Advisers through appropriate administrative measures.

5.32 The recommendations of the Commission have been forwarded to the Joint Secretary (Admn.) in the MoS&PI on 14-9-2006 vide Endt. No.4/2006(4)-NSC.

Meeting with the Hon'ble Prime Minister

5.33 The Chairman and Members of the NSC met the Hon'ble Prime Minister on 31st July 2006. During the meeting, the Prime Minister advised the Commission to take a closer look at the data pertaining to industrial and agricultural production. He also advised the Commission to explore means to closely involve the Indian Statistical Institute in its activities.

5.34 The matter was referred to the ISI. The ISI, Kolkata offered its expertise in Statistics and Economics for undertaking research and consultancy support to the Government. Considering that ISI is an institution funded by the MoS&PI, it was agreed that suitable issues will be referred to the ISI.

Constitution of an Index Review Committee

5.35 The Hon'ble Prime Minister in his meeting with the leaders of Trade Unions on 19th August 2006 noted the concerns expressed by many participants about the distortions in the price indices and announced the constitution of an Index Review Committee to look into the matter. Accordingly, a reference of the Prime Minister's Office was received by the NSC requesting for suggestions on the composition of the Committee and its terms of reference. The Commission deliberated on the request and suggested if necessary Dr. Surjit S Bhalla, Member, National Statistical Commission could chair the proposed Index Review Committee, which should have, apart from one or two non-official members, officials from Labour Bureau, Central Statistical Organization, Ministry of Finance, representatives from the Trade Union and Employers Organizations. The Commission recommended the following terms of reference for the Index Review Committee.

- To review and report on various aspects of the Consumer Price Index Number for Industrial workers (CPI-IW)including the methodology for deriving the weighting diagram, methods of compilation and linking factor
- To study and report on the existing price collection procedures and machinery of price collection

Proposals for the 11th Five-Year Plan relating to the Statistics Wing of MoS&PI

5.36 The Plan proposals of the Statistics Wing of the MoS&PI were reviewed by the Commission. Six different schemes, prepared by the Ministry were considered by

the Commission. The Commission recommended the rationalization of some of the schemes and restricted the Tier II of the World Bank aided India Statistical Strengthening Project (IISP) to strengthening of the State Statistical Bureaus. The recommendations/ views of the NSC on 11th Plan proposals were forwarded to the DG, CSO vide Endt. No. 4/2006(7)-NSC on 22-12-2006. The MoS&PI reported that the scheme is being reformulated and processed further on the basis of the recommendations of the NSC.

Setting up of an ISI at Chennai

5.37 The MoS&PI had sought the views of the Commission on the proposal sent by the Government of Tamil Nadu to the Hon'ble Prime Minister for setting up of Indian Statistical Institute at Chennai. The Commission gave the opinion that to start with, an ISI Center on the model of Delhi and Bangalore Centers of the ISI might be set up.

Chapter-VI

Matters under the examination of the NSC

Infrastructure statistics

6.1 The Planning Commission had sought the attention of the Commission for taking up the development of infrastructure statistics. The Commission recommended that a group of Officers drawn from the Ministries/ Departments dealing with the Infrastructure sectors may be formed under the leadership of CSO for identifying the content and coverage of the proposed document on infrastructure statistics and compiling the available statistics taking account of the criteria recommended by Rangarajan Commission. The issue was discussed in view of the differing notions on definition, content and coverage of 'infrastructure'. It was agreed that the conceptual issues, coverage and data sources/ requirements of infrastructure might be discussed in a meeting of all concerned under the Chairmanship of Dr. Surjit Bhalla along with representatives from Planning Commission, Reserve Bank of India and Ministries dealing with infrastructural sectors and representatives from private sector infrastructure financing institutions.

6.2 This meeting was held on 11th September, 2007. While the question of an acceptable definition of infrastructure was yet to be arrived at, concerned Departments were requested to provide information on the extent of data available in their respective sectors. It was also informed that the Department of Economic Affairs (DEA) proposed to prepare a draft paper on an index of infrastructure. Chairman desired that data collection system in the case of each infrastructural indicator and the process of compiling data from the primary reporting level to the national level aggregation along with intermediate supervisory checks in this process needed to be looked into.

Core Statistics

6.3 One of the central roles envisaged for the NSC is the identification of core statistics, lay down national standards for the identified core statistics and evolve strategies for collection, tabulation and dissemination including release calendars for core statistics.

6.4 According to the recommendations of the Rangarajan Commission, the Core Statistics will have the following characteristics:

i. They should be of national importance
ii. They should be mandatory for Governments at all levels to collect and disseminate
iii. They should confirm to prescribed definitions, concepts and standards as laid down by NSC
iv. They should be updated periodically
v. They should be available at aggregate and disaggregate level, wherever appropriate

6.5 The NSC has been in the process of consultation with various experts and Government Departments for the purpose of identifying core statistics.

Review of implementation of Rangarajan Commission recommendations

6.6 It was reported to the NSC that out of 623 recommendations of the Rangarajan Commission, 261 recommendations have been implemented. The NSC has been reviewing the progress on this issue from time to time.

Statutory Framework for the NSC

6.7 The Commission had discussed in its various meetings the need to provide for a statutory statistical commission as noted in the Government Resolution dated 1st

June 2005 (Appendix-I). Accordingly, a draft outline of the National Statistical Commission Bill was discussed and approved by the NSC. The main features approved by the Commission were as follows.

NSC is to be an independent body, with a fulltime Chairman and five Members out of whom two would be fulltime. The Chief Statistician of India would be an ex-officio Member of the Commission. The Bill also formalizes the post of Chief Statistician of India as head of the NSO.

6.8 It was felt that there was a need to address the question of positioning of the NSC within the Statistical System especially in its relation to the NSO in the proposed Bill. The NSC has also been examining inclusion of specific clauses in regard to core statistics, statistical data quality certification, designating of statistical advisors, sharing of official statistics, regulation of national level surveys etc.

Improving the Reports of NSSO

6.9 The Commission discussed various aspects relating to survey reports of the NSSO in the light of views expressed by some members. The need to conceptualize the formats of survey reports before the actual design of survey questionnaires so as to make the reports more focused was recognized. It was also accepted that a very large number of users did not have the requisite capacity to undertake data analysis from unit level data on their own, necessitating the need for providing extensive tables as part of survey reports. The NSC has been examining bringing out survey reports readable by general users without detailed references to the nuances of NSS methodology and assumptions.

Wholesale Price Index

6.10 The Office of the Economic Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Industry and Commerce made a presentation on 13th June 2007

before the Commission on the various issues involved in the compilation of Wholesale Price Index (WPI). Subsequently, discussions were also held in the 14th meeting of the NSC with Prof. Abhijit Sen, Member, Planning Commission and with officers from the MoS&PI and the DIPP. The issues raised during the consultations have been under the examination of the NSC.

Presentations/ meetings

6.11 Representatives from the Invest India Economic Foundation Private Ltd and Invest India Market Solutions Pvt. Ltd made a presentation on 26th March 2008 on the Invest India Incomes and Savings Survey, 2007.

6.12 Presentation on International Comparison Programme (ICP) was made by the Officers of the National Accounts Division of CSO on 23rd January, 2008.

Discussions and Consultations held by Chairman, NSC

6.13 Commission discussed at length the ways and means of exercising its mandate in respect of core statistics generated by Ministries and other Government agencies. It was accepted that the Commission had a legitimate role in advising the Ministries and Departments on structuring their statistical systems. It was decided that Chairman might address a letter to all the Union Ministers indicating the role of the Commission to facilitate the Members taking up statistical issues in the Ministries and Departments. Chairman accordingly addressed the following letter to all the Union Ministers.

You may be aware that the Government of India had set up the National Statistical Commission with a wide ranging mandate to serve as a ***nodal*** *and* ***empowered*** *body for* ***all core statistical activities*** *in the country and to evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination among the different agencies involved. The Commission was formally constituted in July 2006. The composition of the Commission is as attached.*

In this context, I may quote from the Hon'ble Prime Minister's address on the ***First Statistics day on 29th June, 2007****.*

"We are indeed fortunate that over the years we have been able to maintain the high standards of integrity in our official statistics. However in such matters perceptions are as important as reality. It is for this reason that our government took a major step last year by bringing into existence the National Statistical Commission.

"Its arms length relationship with the Government should give our official statistics enhanced international credibility and transparency. It should also help improve the level of confidence the people and organizations have in the confidentiality of the data that they provide, thereby improving both the completeness and the accuracy of the data so collected.

"Of the wide-ranging mandate that we have given to the National Statistical Commission, two are of particular importance. The first is to evolve and lay down national quality standards in different fields of statistics; and the second is to exercise statistical coordination between central Ministries, Departments as well as State Governments. I appeal to all concerned to extend fullest possible cooperation to the National Statistical Commission and to actively seek its assistance in improving our statistical databases".

You will agree that the need for credible and timely data has increased significantly over the last few years in both scope and coverage for the purpose of policy making as well as for intelligent and well-informed public discussion and the Commission is fully seized of the difficulties faced by many of the Government agencies in collecting the required statistics. In order to address the myriad issues involved, the Members of the Commission would be interacting with the concerned agencies. It is expected that the Commission Members would review and take up key issues relating to your Ministry. I am also attaching the areas of official statistics allotted to different Members of the Commission.

On behalf of the NSC, I wish to seek active cooperation and continuing interaction with the officers of your Ministry in further improving the quality, reliability and timeliness of official statistics emanating from your Ministry that would contribute to a better understanding of the developmental issues. I may also add that as suggested by the Prime Minister, the Commission would be happy to examine any statistical issues relating to your Ministry that you may wish to bring to our notice.

6.14 The Ministers in turn assured the Commission of their cooperation. Chairman, NSC also held consultations with the Chief Ministers of Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Gujarat during his visits to these States. As a follow up, he addressed letters to the Chief Secretaries/ Chief Ministers delineating the steps to be taken to improve the State Statistical Systems.

Chapter-VII

Issues considered and recommendations made by the NSC during 2007-08

Identification of Indicators for monitoring performance as the basis for linking devolution of funds to the States

7.1 The Chairperson, National Advisory Council (NAC) had made certain suggestions to the Prime Minister for strengthening service delivery. One of the suggestions was linking of devolution of funds to the States with performance on the basis of some Human Development Indicators. This suggestion was considered in a meeting of the Core Group on Administrative Reforms which recommended that the Planning Commission might consider creating a fund, for providing additional financial incentive to better performing States

7.2 While reviewing the observations of the Planning Commission, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances felt that the National Statistical Commission (NSC) might be consulted in respect of identifying relevant performance indicators for which State-wise data could be gathered on annual basis for analyzing the rate of change. The matter was placed before the NSC to consider the related issues.

7.3 Commission took up the reference from the Department of Administrative Reforms on identifying relevant performance indicators for devolution of funds to the States. Commission considered the availability and periodicity of data on possible indicators from sources such as Sample Surveys conducted by the NSSO and other surveys like, Sample Registration System of Registrar General of India, National Family Health Survey, etc., and the formulation of an appropriate index in the mould of

Human Development Index (HDI) or otherwise for measuring the overall development of each of the States and the appropriateness of such an index to form the basis of allocation of funds to State Governments.

7.4 It was observed that it would be appropriate to develop such performance indicators linked to specific system of devolution or specific schemes. The empirical and data base issues arising in this context would be (a) building up transparent and composite index of good governance which is comparable across States, if it is going to be used for providing untied grants to States or (b) a set of service-specific indicators. The index being developed by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) for the Ministry of Panchayati Raj to assess the extent of effective decentralization may be cited as an example. Similarly, the Ministry of Minority Affairs has constituted an Expert Committee to work out a Diversity Index as a basis for providing financial incentives to institutions.

7.5 Both of these types of indices need to be sensitive to year to year changes or to the frequency with which devolution of funds has to be made. Most importantly, such indicators should also be based on data from sources independent of the service providers. A composite HDI would not capture the capacity of different State governments to design, formulate and implement policies relating to social services delivery.

7.6 Therefore the requirement would be to identify (i) the schemes and proposed incentive to be built in the individual schemes as suggested by the Planning Commission and (ii) the frequency (such as one time, annual, five yearly etc) with which devolution has to be made. Once the schemes (for which devolution of funds are to be linked to certain indicators), are selected and the frequency of proposed devolution given, it would be possible to examine closely the information available from different independent sources like NSSO and to identify possible indicators and, if necessary, evolve a composite index.

7.7 An examination of the current availability of data showed that while the National Sample Surveys produce information on a wide range of indicators, like the utilization of PDS, employment, literacy, household expenditure, housing, access to publicly provided facilities like roads etc, there is no set of indicators for which information is uniformly available on an year to year basis at State level which are accurate enough to be sensitive to yearly changes. However, it would be possible to suggest special periodical surveys to build up the indicators once the sector/ schemes are specified and the relevant indicators are identified.

7.8 The NSC Secretariat communicated the aforesaid views of the NSC to the Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

Population Underestimation in NSS

7.9 The underestimation of population in NSS was noted by the Commission. Though studies have been undertaken by the NSSO to examine the extent and reasons for the underestimation, Commission recommended studying the issues further. As the issue was of critical importance in the context of NSSO methodology, Commission desired that the study should be undertaken by a consultant. As this required an expert with in-depth knowledge of both the NSSO and Census methodology, the Commission recommended that the study could be entrusted to Shri S K Sinha who had retired from the NSSO recently and had long experience working in the Registrar General's Office.

Setting up of a High Level Committee on Savings & Investments

7.10 The Commission received references from the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance on various issues connected with the estimation of domestic savings. The RBI noted a view that the effects of the financial deepening taking place at a rapid pace in the Indian Economy were not being captured in the household financial

savings. There was also a suggestion for direct estimation of household savings through integrated household surveys of income and expenditure data. Though the procedure followed in the estimation of savings and investment in India were conceptually sound and endorsed by expert committees in the past, it was felt the issues could be examined again by an expert Committees. The Commission after eliciting comments from Members of the Advisory Committee on National Accounts Statistics recommended the formation of a High Level Committee under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan with the following terms of reference.

a. In the light of the higher growth path of the economy, to undertake a critical review of the available estimates of domestic and national savings and investment in the economy, both in the aggregate and its components with respect to data base, methods of estimation, reliability and interpretational significance;
b. To examine if rapid financial deepening in the economy is getting duly reflected in the estimates of financial savings and suggest improvement, if needed;
c. To examine the feasibility of directly estimating household savings through integrated income and expenditure surveys;
d. To examine the feasibility of arriving at separate estimates for pure households, household enterprises and unincorporated bodies through a suitable method;
e. To examine savings in the farm sector in relation to investments;
f. To examine if corporate savings estimation should be done on marked to market basis or the present book value method;
g. To suggest improvements in the methods and procedures used in the estimation of corporate investment and savings;
h. To recommend methods of strengthening public sector savings and investment estimates by taking account of municipalities, city corporations, gram panchayats and other local governments on the one hand and increased private participation in public investments on the other;

i. To examine the empirical methods and procedures used in the estimates based on commodity-flow-method and flow-of-funds method and suggest improvements therein;

j. To suggest new data bases, if any, to be devised/ built-up for improving the reliability or checking validity of the estimates;

k. To review the existing methodology and suggest improvement in the estimation of capital formation at the regional level.

7.11 A copy of the Notification dated 26-12-2007 issued by the MoS&PI constituting a High Level Committee on the basis of the aforesaid recommendation of the NSC is given at Appendix-V.

Reference by the Department of Posts

7.12 The Department of Posts referred to the NSC some of the problems of statistical nature faced by them. Specifically three issues were raised by the Department.

(1) An appropriate sample design for estimation of unrecorded mail volume traffic.

(2) The costing methodology to be followed for allocation of joint costs to the different postal products which could give accurate estimation of cost of each of the postal products.

(3) Estimation of a demand function for different postal products so that it can be used for proper pricing decisions.

7.13 The Department of Posts handles various kinds of products which can be broadly classified into accountable and unrecorded products. In case of accountable articles such as registered letters, insured articles etc. record is available in the post offices which is collected every month from every office and compiled. The record of accountable articles can, therefore, be taken as accurate. In respect of unrecorded

articles, the present system is to count all articles received for delivery during the second/third week of February and August (8th to 21st) in all delivery post offices in the country. This event is known as **"**enumeration**"** and the counting is done by the respective post office staff. The total number of articles obtained in these four weeks is multiplied by a factor of 10.714 (Note: 65 days deducted on account of Sundays and holidays. Remaining 300 days is divided by 28 days, which gives a figure of 10.714) to arrive at total traffic of each kind of articles handled during the year.

7.14 From the Books of Accounts, the total revenue accruing from sale of stamps is ascertained. Revenue per postal article such as post card, inland letter, registration is already known. In respect of other articles like letters, parcels etc., a Sample Survey is conducted by the Department to ascertain the average revenue accruing on each type of article. Using the figure of average revenue on each type of accountable article like registered letter etc., the estimated revenue on the total accountable articles is calculated, which is then deducted from the total revenue shown in the Books of Accounts so as to have an estimate of revenue from unregistered articles. The revenue which should accrue from unregistered articles based on enumeration figure (enumeration figure multiplied by average revenue from each class of article) is substantially higher than the figure which is arrived at as residual figure calculated from the Books of Accounts. This discrepancy points to the fact that the unregistered traffic reported during enumeration is grossly inflated. An appropriate sample design is, therefore required for estimation of unrecorded mail volume traffic.

7.15 Since 1970, the Department has been following a cost accounting methodology to ascertain the cost of different products/ services based on figures which are taken from the Demand for Grants. The costing exercise to determine actual average cost of different services for any year commences only after the actual expenditure for that year is available and the enumerated traffic exercises are completed. The costing system involves four steps, namely, -

i) Ascertaining total expenditure ;

ii) Analyzing expenditure into various functions/services

iii) Determining the output i.e. traffic of different services/products ; and

iv) Arriving at cost per unit of service/product and comparing the same with average revenue to determine surplus/deficit.

7.16 The actual expenditure from the Demands for Grants is classified into post office operations, railway mail service charges, transport charges, printing and stationery charges (all stamps and postal stationery) and overheads (supervision, accommodation, accounts, audit etc.)

7.17 Total expenditure under post office operations is apportioned into four categories namely, clerical handling, Group 'D' assistance, delivery cost and collection on the basis of salaries of the staff working in these cost centers. The expenditure on post office operations also includes the expenses on pensions paid to employees working in post offices. The expenses on pension paid to employees working in sorting and conveyance of mail is included in the Railway Mail Service (RMS) charges. The total pension liability of the Department is approximately about 22% of the total expenditure. The expenditure on clerical handling and delivery is apportioned amongst different products on the basis of work load calculated for each product with reference to estimated traffic multiplied by the prescribed time factor. Expenditure on Group D assistance and collection is apportioned to different products on basis of traffic. The expenditure on RMS operations is allocated on the basis of traffic multiplied by respective time factor. Transport charges are allocated amongst products on the basis of average weight of each category of product (obtained through sampling) multiplied by traffic. The actual cost of printing of stamps is distributed on the basis of ratio determined by multiplying the traffic of each product with respective average revenue. Expenditure on printing of forms etc., is determined on the basis of traffic. The post office supervision expenses are distributed to the products on basis of percentage of post offices expenses. Further, overheads like

accommodation, accounts, audit etc., are distributed on the basis of ratio of total expenses of operations, post office supervision expenses etc.

7.18 Thus, it was seen that traffic and time factor are two ingredients in deciding the cost of products/ services. However, the data on traffic is unreliable for some product/ services thereby rendering the estimate of cost inaccurate. Moreover, in the existing system of the costing methodology, there is no correlation between the inputs used in delivering the service and the costing of that service. Further, as the products/ services offered by the Department are not supply determined like electricity, it does not make sound economic reasoning to allocate the entire expenditure of the Department on the cost of the products. The existing methodology has a tendency to allocate higher costs on high volume products, thereby making such products uncompetitive in the market. In fact, in this costing methodology, what is happening is a graveyard spiral of increasing prices and declining market share. Suggestions have been made to follow Activity based Costing. But a proper design for recording data relating to inputs as also the kind of data such as segment-wise, destination wise, weight-wise etc., which need to be recorded, has not been put in place.

7.19 The issues raised by the Departments of Posts are - (a) What kind of costing methodology is to be followed for allocation of joint costs to the different postal products which could give accurate estimation of cost of each of the postal products. This will enable the Department to follow proper pricing policy based on cost, while keeping in view the competition in the market, thereby making postal products competitive; and (b) the method of estimation of a demand function for different postal products so that it can be used for proper pricing decisions

7.20 The NSC recognized the importance of the statistical issues raised by the Department of Posts, in particular the sampling design to be used for estimating the volume of traffic. The Commission was of the view that the exercise of estimating the volume of unaccounted mail is required to be studied in detail by Statistical professionals to

suggest an appropriate sample design along with other changes in the costing methodology. In this context, it was felt that the services of the Indian Statistical Institute, Kolkata could be used for undertaking a detailed study of the present methodology and understand the lacunae, if any, and suggest improvements in the present methodology. The NSC recommended that this could be considered by the Department of Posts after ascertaining the willingness of the ISI on mutually acceptable terms and conditions.

7.21 It was also noted that the statistical unit in the Department of Posts was understaffed and that the Department was willing to expand the same by inducting an Officer of suitable level of the Indian Statistical Service. The NSC recommended that the MoS&PI to take up this issue with the Department of Posts.

Consumer Price Indices

7.22 This section gives an account of the Commission's deliberations on the price indices compiled at the national level.

7.23 The price indices in the system of economic statistics are closely watched indicators of macro-economic performances. They are direct indicators of the purchasing power of money in various types of transactions involving goods and services. As such, they are also used as deflators in national accounts statistics in providing aggregate measures of the volume of goods and services produced and consumed. Consequently, these indices are important tools in the design and conduct of the monetary and fiscal policy of the Government, and also of great utility in taking economic decisions throughout the private sector.

7.24 A Consumer Price Index (CPI) gives the variation in the general level of prices of goods and services consumed by households between two given time points. The difficulties of compiling the index are well known. Apart from the difficulties in

collecting price data regularly from a large number of agents, we need to account for the changing nature of goods, both in terms of form and quality, prevalence of different pricing schemes etc. Notwithstanding these problems, the above indices are widely used in the economy. The National Statistical Commission under the Chairmanship of Dr C Rangarajan has comprehensively reported on the various issues relating to the collection of prices and the compilation of price indices in the country.

Price Statistics at the national level (excerpts from the report of Rangarajan Commission

At the national level, there are four Consumer Price Index (CPI) numbers. These are:

A. CPI for Industrial Workers (IW),

B. CPI for Agricultural Labourers (AL), CPI for Rural Labourers (RL) and

C. CPI for Urban Non-Manual Employees (UNME).

As the current CPI series does not provide changes in the prices for the entire rural and urban population since they are designed to measure the changes in the prices of goods and services consumed by specific segments of the population, there is a need to compile the CPI separately for the entire rural and urban populations.

7.25 The Commission has looked into various issues relating to the compilation of Price Index, in particular the Wholesale Price Index for quite some time now. Detailed presentations were made before the Chairman and Members of the Commission by

the organizations compiling the various indices namely, Wholesale Price Index, Consumer Price Index(CPI) for urban non-manual employees, CPI for industrial workers, CPI for agricultural labour and CPI for rural labour by the officers from DIPP, CSO and Labour Bureau.

Consumer Price Index for Rural and Urban India

7.26 Central Statistical Organization which compiles the Consumer Price Index for urban Non-manual Employees (CPI-UNME) made the first of the presentations before NSC on 20th February 2007. The need to introduce CPI (Urban), CPI (Rural) and combined CPI as suggested by the Rangarajan Commission was discussed. It was agreed that the NSS Consumer Expenditure Survey (CES) results will be used to prepare the weighing diagrams for rural / urban and all-India level. Price Index for Agricultural Labour (CPI-AL) and Rural Labour (CPI-RL) will continue to be compiled in 23 states by the Labour Bureau, while the proposed rural index will cover all the states.

7.27 In the 13th meeting of the Commission held on 23rd January 2008 the National Accounts Division of CSO briefed the Commission on the work done so far for compiling the Consumer Price Index (CPI) for rural and urban areas. The basic work for compiling the index viz. preparing the weighting diagram and the market survey for identification of outlets had been completed for CPI (Urban). Since the urban price data collection mechanism already existed for the current CPI (UNME), it was reported that additional manpower would be required for the parallel run of the new urban index along with the existing CPI (UNME). However in view of the shortage of man power resources with the NSSO, this was reported to be not feasible. Therefore, if the existing CPI (UNME) was replaced by the new CPI (Urban) this problem could be circumvented, provided an alternative derived index at the all India level was made available during the interregnum when the CPI (UNME) was discontinued and the new index was not ready. Since the CPI (UNME) has very few

users and the CPI (Urban) would be a major step towards having a national CPI, the Commission approved the discontinuing of CPI (UNME) so that the resources could be diverted to the proposed CPI (Urban). The Commission desired that the NAD should provide a linking factor at the all India level linking the all India CPI (UNME) and all India CPI (IW) during this period.

Consumer Price index (Urban)

7.28 The issue for providing a link index at the all India level, during the interregnum when CPI (UNME) is discontinued and the proposed CPI (U) is released was discussed in the 13th meeting of the Commission held on 23rd January, 2008. In the meeting it was decided that the National Accounts Division of CSO would place before the Commission a methodology for computing the alternate link index by using the all India CPI (UNME) and the India CPI (IW).

7.29 Accordingly, National Accounts Division of CSO presented before the Commission, results of two methods used in computing the link index - ratio and regression methods. As the new series of CPI (IW) was available from January, 2006, results were based on the data of last twenty four months of CPI (IW) and CPI (UNME), for the years 2006 and 2007. Results from both the methods indicated that the CPI (UNME) estimates computed using the CPI (IW) data were quite close to actual CPI (UNME) data at General Index level for the years 2006 and 2007.

7.30 The Commission discussed whether the linking method should be based on ratio method using the weights of CPI (UNME) or by the simple regression method. After detailed deliberations, the Commission recommended (i) to adopt link index based on ratio method after aggregating the sub-group level indices of CPI (IW) using CPI (UNME) weights, as it is easy for the users to understand; and (ii) discontinue the current CPI (UNME) series. The Commission recommended the following methodology for working out linking factor and the link index at all India level.

- For each of the months for the two year period from January, 2006 to December, 2007, using CPI (UNME) weights at sub-group level and CPI (IW) numbers at sub-group level (after making sub-groups of CPI (UNME) and CPI (IW) comparable), synthetic CPI (UNME) numbers are to be obtained.
- Month-wise ratios of CPI (UNME) to synthetic CPI (UNME) at each sub-group, group and all groups are to be compiled.
- Average ratio at each level based on 24 months' figures would be taken as the linking factor at the respective group/sub-group level as mentioned above.
- The linking factor at the group/ sub-group level would be applied to CPI (IW) groups/ sub-groups and link index arrived using the CPI (UNME) weights. This would be continued till the new CPI (Urban) is ready.

7.31 As for the CPI (Rural), the Commission was informed that the proposal was to compile the CPI (Rural) with nationwide coverage instead of current coverage of 20 states for the agricultural labour and rural labour index. However, though the weighting diagram is ready, the market survey was yet to be taken up in the absence of necessary manpower resources.

7.32 The recommendations of the NSC on consumer price indices were forwarded to the DG, CSO and the Addl. DG, CSO (NAD) vide letter no.4(14)/2008-NSC on 4-3-2008.

Use of statistical packages in the MoS&PI

7.33 The need to use different statistical packages for the statistical work in the MoS&PI and its attached Organisations was considered by the NSC. Commission recommended that ISS Officers especially those handling survey data analysis in the NSSO and others doing analytical work elsewhere should be encouraged to use statistical packages.

Chapter-VIII

Expenditure incurred on the Commission

8.1 Since the NSC came in to existence on 12th July, 2006, there was no budget allocation in the BE for the year 2006-07. However, a budgetary provision of Rs. 65.45 lakhs was made in the RE for the year 2006-07, under the Head -3451, Secretariat Economic Services of the MoS&PI.

8.2 For the year 2007-08 a budget of Rs. 64.70 lakhs was provided in the BE, which was subsequently revised to Rs. 64.55 lakhs in the RE.

8.3 No officer in the NSC Secretariat has been delegated the power to incur expenditure on the activities of the NSC. Hence, the officer delegated with the powers of Head of the Department in the MoS&PI has been empowered to incur expenditure on the activities of the NSC.

8.4 It was reported that an expenditure of Rs.35.81 lakhs was incurred during 2006-07 and an expenditure of Rs. 57.77 lakhs was incurred during 2007-08 under the aforesaid Head towards the expenses connected with running the NSC Secretariat, domestic travel of the Chairman and Members and for acquiring office equipments etc.

Acknowledgement

The National Statistical Commission is deeply indebted to all the experts in various fields, the Government Departments and senior officers with whom it had interactions and consultations in its working. Without their involvement and cooperation, it would not have been possible for the Commission to work effectively on its mandate.

The Commission is specially thankful to Dr. Pronab Sen, the Chief Statistician of India whose constant interactions with the Chairman and Members of the NSC and suggestions have been very useful to the NSC in formulating its recommendations.

The Commission also appreciates the services rendered by Shri P.C.Mohanan, Dy. Director General and other support staff in the NSC Secretariat whose contribution in identifying the problems and constant follow-up of various pending issues helped the NSC in focusing its attention on the issues.

(Dr.Surjit S.Bhalla)
Member

(Dr. Amitabh Kundu)
Member

(Dr. Padam Singh)
Member

(Prof. Bikas Sinha)
Member

(Dr. Subas Pani)
Secretary, Planning Commission
Ex-officio Member

(Prof. Suresh D. Tendulkar)
Chairman

रजिस्ट्री सं० डी०एल०–33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III–Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85 नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2005/ज्येष्ठ 11, 1927
No. 85 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 200 5/JYAISTHA 11, 1927

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2005

देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की । रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरूरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके । इसके मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि आयोग को शुरू में सरकारी संकल्प द्वारा गठित किया जाएगा । आशा है सांविधिक आयोग का गठन एक वर्ष की अवधि के भीतर कर लिया जाएगा ।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे --

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशास्त्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार अथवा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षणों, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, तथा

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग अथवा राज्य सांख्यिकीय प्रणाली

(ग) सचिव, योजना आयोग, पदेन सदस्य के रूप में ।

(घ) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा ।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विधिवत गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चयनित किया जाएगा । सर्च कमेटी में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(i) योजना आयोग के उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर	- सदस्य, तथा
(iii) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ख्यातिप्राप्त सांख्यिकीविद अथवा सामाजिक वैज्ञानिक हो सकते हैं और जिन्हें देश की सांख्यिकीय प्रणाली का प्रगाढ़ ज्ञान हो	- सदस्य

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन हेतु तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश भारत सरकार को करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा । सर्च कमेटी 2(ख) तथ 2(घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों जो क्रमशः सदस्य तथा मुख्य सांख्यिकीविद की नियुक्ति पाने के पात्र हों, की भी सिफारिश करेगी और भारत सरकार 2(ख) के अंतर्गत आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य नामित करेगी तथा मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त करेगी ।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । अध्यक्ष का दर्जा राज्यमंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे ।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक है ।

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां अथवा कार्य समूह गठित करना,

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का विकास करना ,

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना,

(ड.) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना ।

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) केन्द्र सरकार, अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खंडों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ट) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना ।

(ठ) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ-साथ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जाएगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध

के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा । वे सांख्यिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव को कार्य करेंगे ।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दो स्कंध होंगे, अर्थात् (i) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय; तथा (ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय । संगणक केन्द्र, जो आंकड़ा भंडारण तथा प्रसार का कार्य करता है, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भाग होगा । इस प्रकार, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सहायतार्थ सांख्यिकी के दो महा निदेशक, अर्थात् एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का प्रभारी तथा दूसरा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रभारी होगा जिसका रैंक भा.सां.से. के उच्चतम प्रशासनिक ग्रेड-I (एचएजी-I) का होगा ।

9. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

10. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी तथा क्षमतापूर्ण ढंग से निपटाने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से आयोग के पास निम्नलिखित कार्यों हेतु शक्ति होगीः

(क) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग करना जो आयोग की राय में सांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करेगा अथवा पूरा कर सकता हो,

(ख) "कोर सांख्यिकी " के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणाओं, परिभाषाओं, अनुसरित रीतिविधानों, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, प्रतिचयन तथा गैर प्रतिचयन त्रुटियों आदि सहित सांख्यिकीय गतिविधियों के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु
सांख्यिकीय अभिकरणों तथा संस्थानों की अपेक्षा रखना, तथा

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना ।

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से संबद्ध किसी मामले की जांच हेतु नोटिस जारी करना ।

11. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

12. "वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्र सरकार को भेजेगा । केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई अनुशंसा अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी अनुशंसा और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।"

13. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाए, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल हैं, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक मांग से पूरा किया जाएगा और जिसे संसद द्वारा "स्वीकृत" किया जाएगा ।

(सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I)

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2005

No. A-11011/1/2005-Ad.I – The National Statistical Commission set up by the Government in January 2000 under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. In line with the above recommendations, it has been decided to set up the Commission initially through a Government resolution. It is expected that the Statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -

(a) a part-time Chairperson who is, or has been, an eminent statistician or social scientist to be nominated by the Government of India;

(b) four part-time Members, one each from the following fields, to be nominated by the Government of India, from amongst the persons having specialization and experience in -

(i) economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance,

(ii) social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment,

(iii) statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology, and

(iv) national accounts, statistical modeling or State Statistical Systems.

(c) The Secretary, Planning Commission as *ex-officio* Member.

(d) The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office. The

Chief Statistician of India, the post created specifically as the Head of the National Statistical Office will be the Secretary of the Statutory Commission.

3. The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the purpose. The Search Committee shall consist of

i. Deputy Chairman of the Planning Commission –Chairperson;
ii. Deputy Governor of the Reserve Bank of India-Member; and
iii. Two eminent persons who may be distinguished statisticians or social scientists with an intimate knowledge of the statistical system of the country-Members.

4. The Search Committee shall recommend names of three persons to the Government of India for selection as Chairperson and one of them would be nominated as the Chairperson. The search Committee shall also recommend names of two persons from each of the categories in 2(b) and 2(d) eligible to be appointed as Members and Chief Statistician respectively, and the Government of India shall nominate one member from each of the categories under 2(b) as Members of the Commission and appoint the Chief Statistician.

5. The tenure of the Chairperson and the Members shall be three years. The status of the Chairperson would be that of a Minister of State and the Members would be equivalent to Secretary to the Government of India.

6. The National Statistical Commission will perform the following functions:-

a. to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;
b. to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;
c. to evolve national policies and priorities relating to the statistical system;
d. to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay down national quality standards on core statistics;
e. to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;
f. to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;
g. to evolve measures for improving public trust in official statistics;
h. to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;
i. to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;
j. to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products;
k. to recommend to the Central Government, or any State Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h);
l. to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission;
m. to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies and recommend measures for enhanced performance.

7. Along with the establishment of the National Statistical Commission, the Central Statistical Organization (CSO) and the National Sample Survey Organization (NSSO) will be merged into a single entity called the National Statistical Organization (NSO), which will function as the executive wing of the Government of India in the field of statistics and act according to the policies and priorities as laid down by the NSC. The NSO would be headed by an Officer of the rank of Secretary to the Government of India, who will be designated as the Chief Statistician of India and he will also function as the Secretary of the Commission. He will discharge the functions of Secretary of the Government of India in the Department of Statistics.

8. The NSO will have two wings, viz., (i) Central Statistics Office (CSO); and (ii) National Sample Survey Office (NSSO). The Computer Centre dealing with data

storage and dissemination will form part of the CSO. Thus, there will be two Director's General of Statistics to assist the Chief Statistician of India, viz., one in charge of NSSO and the other in charge of CSO in the rank of Higher Administrative Grade-I (HAG-I) of ISS.

9. The National Statistical Commission will be serviced by a Secretariat headed by Secretary of the Commission who will be supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade and other officials.

10. The Commission will have the requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. In particular the Commission will have powers to:

(a) require production of any document which in the opinion of the Commission will serve or may serve statistical purposes;
(b) require statistical agencies and institutions to provide details of statistical activities, including concepts and definitions used, methodologies followed, quality standards adopted, sampling and non-sampling errors, etc. in respect of core statistics;
(c) require attendance of any person including any public servant on matters connected with core statistics;
(d) issuing notices for examination of witnesses and documents or any matters connected with core statistics.

11. The Commission will also have authority to formulate its short and long-term programmes.

12. The Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government. The Central Government shall cause to be laid the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations therein, along with the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations before each House of Parliament. Where any recommendation or any part thereof concerns any State Government, the Commission shall forward a copy of such recommendation or part thereof to such State Governments which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations relating to the State and reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

13. The annual expenditure on account of the establishment of the National Statistical Commission including salary and wages, domestic travel, office expenses, hiring of accommodation, professional services, administrative services and requirements for day to day administration of the Commission will be met from a demand under the Ministry of Statistics and Programme Implementation and will be 'voted' by the Parliament.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India

रजिस्ट्री सं० डी०एल०–33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II–Section 3–Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465 नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2006/वैशाख 20, 1928
No. 465 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2006/VAISAKHA 20, 1928

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें

क्र.ए-11011/1/2005-प्रशा.I (खण्ड-IV) नई दिल्ली, दिनांक : 8 मई, 2006

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.-I, दिनांक 01 जून 2005 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तों का अनुमोदन करते हैं ।

2. ' **परिभाषाः**- इन सेवा शर्तों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार से है ;

(ख) "आयोग"से तात्पर्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग है ;

(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है ;

(घ) "सदस्य"से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(ड़.) "संकल्प" से भारत सरकार का संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशासन-Iदिनांक 01 जून 2005 अभिप्रेत है से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(च) "सर्च समिति" से अभिप्राय सरकार द्वारा संकल्प के खण्ड 3 के तहत अनुमोदित समिति से है ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्य-अवधि तथा सेवा शर्तें

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस उद्देश्य हेतु सम्यक रूप से गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः अल्प-कालिक अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।

3.2 अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् या समाज विज्ञानी और समकालीन सामाजिक, सांख्यिकीय और आर्थिक विकास सबंद्ध विषयों के मात्रात्मक तकनीक के महत्वपूर्ण प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग में संलग्न शिक्षा शाखा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

3.3 चार अल्प-कालिक सदस्य होगें, प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हो-

(i) कृषि, उद्योग, अवसंरचना, व्यापार या वित्त जैसे क्षेत्रों में अर्थ सांख्यिकी

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी

(iii) जनगणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय आसूचना प्रणाली या आसूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय कार्य

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली ।

3.4 सर्च कमेटी विशेषज्ञता के उपरोक्त क्षेत्रों के प्रत्येक में अध्यक्ष के रुप में चुने जाने के लिए तीन व्यक्तियों के नामों तथा सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए प्रत्येक दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी । सरकार सर्च कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए पेनलों में से अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेगी ।

3.5 अध्यक्ष की कार्य अवधि तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, की होगी । सभी सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की कार्य अवधि तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की होगी । तथापि, उसने नियुक्ति के समय पर 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । अध्यक्ष और सदस्यों को केवल एक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि सदस्य अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।

3.6 यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, तो उन कार्यों का ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा जिसके लिए सरकार निदेश देगी, जब तक कि नये अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें या वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनर्ग्रहण न कर लें ।

3.7 सर्च कमेटी में किसी रिक्ति मात्र के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।

3.8 आयोग के अध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री के स्तर का होगा तथा सदस्यों का स्तर सरकार के सचिव के स्तर का होगा ।

3.9 अध्यक्ष 10,000/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे । पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य 7,500/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे ।

3.10 अन्यथा कहीं पर उल्लेख होते हुए भी, यदि आयोग का कोई सदस्य संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो वह संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में निर्धारित भत्तों के अलावा किसी परिश्रमिक या जैसा कि मामला हो राज्य विधान सभा की सदस्यता हेतु अयोग्यता निवारण से संबंधित राज्य में लागू किसी कानून के अंतर्गत राज्य विधान सभा के सदस्य के लिए निर्धारित भत्तों, यदि कोई हो, के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

3.11 आयोग के कार्य के संबंध में यात्रा करने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यगण एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा करने के योग्य होंगे । वे आयोग के कार्य के लिए अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करने पर कमरे के किराए एवं दैनिक भत्ते के भी हकदार होंगे । कमरे का किराया एवं दैनिक भत्ता निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :-

(i) किसी भी सरकारी गेस्ट हाऊस अथवा आईटीडीसी के मंझोले होटल जैसे- लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित टूरिस्ट होटल अथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निवासी आवास में एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति ।

(ii) सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक निजी लॉज/होटल में ठहरने के लिए कमरे का किराया ।

(iii) भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार के सचिव को यथा ग्राह्य दैनिक भत्ते की साधारण दर के 90% की दर से दैनिक भत्ता ।

(iv) आयोग के कार्यों के निपटान के लिए स्थानीय यात्रा हेतु परिवहन अथवा परिवहन शुल्क ।

3.12 अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के सचिव यथा ग्राह्य अपने निवास पर दूरभाष के बिल संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होंगे ।

3.13 अध्यक्ष एवं कोई भी अन्य सदस्य अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।

3.14 अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकेगा जब राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 145 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय यह रिपोर्ट दे कि ऐसे किसी आधार पर अध्यक्ष/सदस्य को हटाया जाना चाहिए ।

3.15 राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में इस नियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा गया है जब तक कि ऐसे संदर्भ पर सर्वोच्च् न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति ने आदेश पारित कर दिया है ।

3.16 खण्ड 3.13 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकते हैं, यदि वे :-

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया हैं;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए उन पर दोष सिद्ध होता है और उन्हें कारावास होता है, जो राष्ट्रपति के मत से नैतिक अधमता का द्योतक है; अथवा

(ग) वे राष्ट्रपति के मत से, मासिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हैं; अथवा

(घ) यदि राष्ट्रपति के मत से, उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिसके कारण व्यक्ति का पद पर बने रहना सांख्यिकीय प्रणाली के हितों के लिए हानिकारक होगा; अथवा

(ड.) वे अनुन्मोचित ऋणशोधक्षम बन जाते हैं; और

(च) कार्य करने से मना करते हैं अथवा कार्य करने में अक्षम हैं

परंतु अध्यक्ष/सदस्य को इस खंड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले में उन्हें सुने जाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की नियुक्ति, कार्यावधि, और सेवा शर्तें ।

4.1 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्, आयोग के सचिव होंगे । वे राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के अध्यक्ष भी होंगे और सांख्यिकी विभाग में सचिव, भारत सरकार के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

4.2 सर्च कमेटी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी, जिनमें से भारत सरकार एक व्यक्ति को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् नियुक्त करेगी । किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय और प्रबंधकीय अनुभव वाले व्यक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

4.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की कार्यावधि पांच वर्ष अथवा बासठ वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की होगी । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और नियुक्ति के समय उनकी आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए ।

4.4 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के वेतन एवं भत्तों के पात्र होंगे । वे सरकारी आवास, टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य उन सभी सुविधाओं के पात्र होंगे जो भारत सरकार के सचिव के लिए हैं ।

4.5 जहां किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और किसी भी पहली सेवा से संबंधित पेंशन प्राप्त करता हो, तो उस पेंशन की राशि और यदि उन्होंने पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो उसे इन नियमों के अधीन ग्राह्य वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

(अ.कु.सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

Service Conditions for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May,2006

No. A-11011/1/2005-Ad-I - In pursuance of the Government of India Resolution No.A-11011/1/2005-Ad. I, dated 1st June, 2005 regarding setting up of the National Statistical Commission, the Competent Authority hereby approves the service conditions for

Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India.

2. Definition- In these Service conditions, unless the context otherwise requires,

(a) "Government" means the Government of India;
(b) "Commission" means the National Statistical Commission;
(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
(d) "Member" means a Member of the Commission other than the Chairperson and the ex-officio Members of the Commission;
(e) "Resolution" means the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005 - Ad-I, dated 1st June, 2005;
(f) "Search Committee" means the Committee approved by the Government under Clause 3 of the Resolution.

3. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chairperson and Members

3.1 The Chairperson and Members of the National Statistical Commission will be appointed by the Government on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted for the purpose. The Chairperson and Members of the Commission will be part-time Chairperson and Members respectively.

3.2 The Chairperson has to be an outstanding statistician or social scientist and a person of eminence in an academic discipline involving application of scientific methods and significant use of quantitative techniques to contemporary social, statistical and economic development related subjects.

3.3 There will be four part time members, one each from the following fields having specialisation and experience in

(i) Economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance
(ii) Social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment
(iii) Statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology
(iv) National accounts, statistical modeling or state statistical systems.

3.4 The Search Committee shall recommend names of three persons for selection as Chairperson and names of *two* persons each for selection as Member in each of the above areas of specialization. The Government shall appoint Chairperson and Members out of the panels recommended by the Search Committee.

3.5 The tenure of the Chairperson will be three years or till he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of all the Members (other than the ex-officio Members) will be three years or till he/she attains the age of sixty five years,

whichever is earlier. Chairperson and Members should have, however, attained the age of 55 years at the time of appointment. The Chairperson and Members shall be appointed only for one term and are not eligible for re-appointment. However, Members are eligible for appointment as Chairperson.

3.6 If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by such other Member as the Government may direct.

3.7 No appointment of Chairperson or other Members shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Search Committee.

3.8 The Chairperson of the Commission will have the status of a Minister of State in the Government and the Members will have the status of a Secretary to the Government.

3.9 The Chairperson will be entitled for an honorarium of Rs.10,000/- per month. Each Member, except the ex-officio Members, will be entitled for an honorarium of Rs.7, 500/- per month.

3.10 Notwithstanding anything contained otherwise, if the Chairperson or any other Member of the Commission happens to be a Member of Parliament, or a State Legislature, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act,1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which the Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

3.11 The Chairperson and Members will be eligible to travel by air in executive class or by rail in air-conditioned first class while undertaking tours in connection with the work of the Commission. They will also be eligible for room rent and daily allowance for travel in connection with the work of the Commission outside their place of residence. The room rent and daily allowance admissible would be as follows:

(i) Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels like Lodhi Hotel, Qutab Hotel, Janpath Hotel, Ashok Yatri Niwas or State Government run Tourist Hotels/Hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.

(ii) Room rent for stay in private lodges/hotels upto the limits specified by the Government.

(iii) D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of DA as admissible to the Secretary to the Government for boarding purpose.

(iv) Transport or transport charges for local travel in discharge of the functions of the Commission.

3.12 The Chairperson and Members will also be eligible for reimbursement of bills relating to a telephone at their residence as admissible to the Secretary to the Government.

3.13 The Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his post.

3.14 The Chairperson or a Member shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by it under sub-clause (1) of clause (1) of Article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson/Member ought to be removed on any such ground.

3.15 The President may suspend from office the Chairperson or a Member in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

3.16 Notwithstanding anything in clause 3.13, the President may by order remove from office the Chairperson or a Member if he/she

(a) is adjudged an insolvent; or
(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude; or
(c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or
(d) if in the opinion of the President has so abused his/her position as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the Statistical System, or
(e) becomes an un-discharged solvent and
(f) refuses to act or becomes incapable of acting.

Provided that the Chairperson/Member shall not be removed under this clause until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

4. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chief Statistician of India.

4.1 The Chief Statistician of India will be the Secretary of the Commission. He will also be the head of the National Statistical Organisation and discharge the functions of the Secretary to the Government of India in the Department of Statistics.

4.2 The Search Committee shall recommend names of two persons for the post of the Chief Statistician of India, out of which the Government of India shall appoint one person as the Chief Statistician of India. Persons with statistical and managerial experience in a large statistical organization shall be considered for appointment.

4.3 The tenure of the Chief Statistician of India will be five years or till he/she attains the age of sixty two years, whichever is earlier. The Chief Statistician of India will be eligible for reappointment. He/she should have attained the age of 52 years at the time of appointment.

4.4 The Chief Statistician of India will be eligible for the salary and allowances of a Secretary to the Government of India. He will also be eligible for Government accommodation, telephone, medical attendance and all other facilities as admissible to a Secretary to the Government of India.

4.5 Where any person being a retired government servant or retired servant of any other Institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chief Statistician of India, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India

(राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांकः 3 जुलाई, 2006

अधिसूचना

सं.आर-16025/3/2005-रा.सां.आ. - भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I दिनांक 1-6-2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित को शामिल करते हुए गठित किया गया है :-

(i)	प्रो.सुरेश तेंदुलकर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स	**अध्यक्ष**
(ii)	डॉ. सुरजीत एस.भल्ला, एस-160, पंच शिला पार्क, नई दिल्ली-110017	**सदस्य**
(iii)	डॉ. अमिताभ कुंदू, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067.	**सदस्य**
(iv)	डॉ. पदम सिंह, 2062, पार्क रॉयल, सेक्टर-9, ब्लॉक 10ए, द्वारका, नई दिल्ली-110045.	**सदस्य**
(v)	प्रो. बिकाश सिन्हा, प्रोफेसर, सैद्वांतिक सांख्यिकी तथा गणित प्रभाग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203, बी.टी.रोड, कोलकाता-700108.	**सदस्य**

उपर्युक्त चार सदस्यों के अतिरिक्त, सचिव, योजना आयोग, आयोग के पदेन सदस्य होंगे । भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे । भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के पदभार संभालने तक सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अंशकालिक अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे । अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा । सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा ।

3. 'अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तें भारत सरकार की अधिसूचना सं.-ए-11011/1/2005-प्रशा.I(खण्ड-IV) दिनांक 8 मई, 2006 के द्वारा शासित होंगी । आयोग के अध्यक्ष का स्तर भारत सरकार में एक राज्यमंत्री का होगा तथा सदस्यों का स्तर भारत सरकार के सचिव का होगा ।

4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निष्पादित करेगा जैसा कि संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I दिनांक 1-6-2005 में अनुबद्ध है ।

5. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग पर होने वाला समस्त व्यय लेखा-शीर्ष 3451(मुख्यशीर्ष) के अंतर्गत वहन किया जाएगा ।

6. यह अधिसूचना 12 जुलाई, 2006 से लागू होगी ।

(अरूण कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

APPENDIX-III

Government of India
Ministry of Statistics and Programme Implementation

Sardar Patel Bhawan, Parliament Street
New Delhi-110 001, dated the 3rd July, 2006

NOTIFICATION

No.R-16025/3/2005-NSC. In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005, the National Statistical Commission is constituted with the following: -

(i) Prof. Suresh Tendulkar, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics – **Chairman**.
(ii) Dr. Surjit S. Bhalla, S-160, Panch Shila Park, New Delhi-110017 – **Member**.
(iii) Dr. Amitabh Kundu, Professor, Centre for Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 – **Member**.
(iv) Dr. Padam Singh, 2062, Park Royal, Sector-9, Block 10A, Dwarka, New Delhi - 110045 – **Member**.
(v) Prof. Bikas Sinha, Professor, Division of Theoretical Statistics & Mathematics, Indian Statistical Institute, 203 B.T. Road, Kolkata-700108 – **Member**.

Besides the above four Members, Secretary, Planning Commission will be *ex-officio* Member of the Commission. The Chief Statistician of India will function as Secretary to the Commission. The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office.

2. The Chairman and Members of the Commission will be part-time Chairman and Members. The tenure of the Chairman will be three years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of the Members will be three years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

3. The appointment, tenure and service condition of the Chairman and Members shall be governed by Government of India Notification No.A-11011/1/2005-Ad.I (Vol.IV) dated 8th May, 2006. The Chairman of the

Commission will have the status of a Minister of State in the Government of India and the Members will have the status of a Secretary to the Government of India.

4. The National Statistical Commission will perform the functions effectively and efficiently as stipulated in the Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005.

5. All expenditure on account of the National Statistical Commission will be incurred under the Head of Account 3451 (Major Head).

6. This notification will come into force with effect from 12th July 2006.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India

परिशिष्ट-IV

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई-समन्वय आई शाखा

पूर्ववर्ती नोट के संदर्भ में ।

चूंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के संबंध में उनके निम्नलिखित प्रस्तावों से सहमति प्रकट की जाती हैः-

i. महानिदेशक, के.सां.सं.के पद को परिवर्तित करके भारत सरकार के सचिव के रैंक में मुख्य सांख्यिकीविद् के पद का सृजन ।

ii. एच ए जी II स्तर (22400-24500 रु) में अपर महानिदेशक के एक पद का आई एस एस के एच ए जी ग्रेड-I (22400-26000 रु) में के.सां.सं.के प्रभारी महानिदेशक के पद में उन्नयन ।

iii. निम्नलिखित पदों सहित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सचिवालय का सृजनः

(क)	उप महानिदेशक (18400-22400 रु)	1
(ख)	निदेशक (14300-18300 रु.)	1
(ग)	निजी सचिव (6500-10500 रु.)	1
(घ)	वैयक्तिक सहायक (5500-9000 रू.)	1
(ड़)	अवर श्रेणी लिपिक (3050-4590 रू.)	1
(च)	ड्राइवर (3050-4590 रु.)	1
(छ)	चपरासी (2550-3200 रु.)	2

iv. एक स्टाफ कार की खरीद ।

सचिव (व्यय) द्वारा देखा गया/अनुमोदित किया गया ।

ह0
(एन.के.चड्ढा)
उप सचिव (सी)

सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन)
वित्त मंत्रालय (व्यय) आई डी सं. 1521/ई.समन्वय.आई/2005 दिनांक 19.8.2005

प्रति प्रेषितः
1. ई. III (ख) शाखा ।
2. अवर सचिव (एस के सी) ई.समन्वय शाखा ।

ह0
(एन.के.चड्ढा)
उप सचिव (सी)

APPENDIX-IV

Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.Coord.I Branch

Reference preceding Note.

Since the approval of the Cabinet has already been obtained by the Ministry of Statistics & Programme Implementation, we concur in their following proposals towards establishment of the National Statistical Commission:-

i. Creation of the post of Chief Statistician in the rank of Secretary to GOI by converting the post of DG, CSO.
ii. Upgradation of one post of ADG in HAG II level (Rs. 22400-24500) to the post of DG-in-Charge of CSO in HAG grade I of ISS (Rs. 22400-26000).
iii. Creation of NSC Secretariat with the following posts:

a.	DDG (Rs. 18400-22400)	1
b.	Director (Rs. 14300-18300)	1
c.	PS (Rs. 6500-10500)	1
d.	PA (Rs.5500-9000)	1
e.	LDC. (Rs.3050-4590)	1
f.	Driver (Rs.3050-4590)	1
g.	Peon (Rs. 2550-3200)	2

iv. Purchase of a Staff Car.

Secretary **(Exp.)** has seen/ approved.

[N.K. Chadha]
Deputy Secretary [C]

Secretary (Statistics & Programme Implementation)
MoF (Exp.) I.D.No. l521/E.Coord.I/2005 dated 19.8.2005

Copy to: 1. E.III (B) Branch
2. US (SKC), E.Coord; Branch

Sd/-
[N.K. Chadha]
Deputy Secretary [C]

परिशिष्ट-V

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

संयू.17014/1/2007-रा.ले.प्र.12(एचएलसी) दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

भारत सरकार बचतों एवं निवेशों के आकलन संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का निम्नानुसार एतद्द्वारा गठन करती हैः

1.	डा. सी. रंगराजन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	अध्यक्ष
2.	डा. कीरीत पारिख, सदस्य प्रभारी, परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग, योजना आयोग	सदस्य
3.	प्रो. रविन्द्र ढोलकिया, आईआईएम, अहमदाबाद	सदस्य
4.	डा. एस.एल. शेट्टी, ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउन्डेशन, मुंबई	सदस्य
5.	डा. सुमित्रा चौधरी सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद्	सदस्य
6.	श्री रमेश कोल्लि अपर महानिदेशक, रा.ले.प्र., के.सां.सं.	सदस्य
7.	डा. आर.बी. बर्मन, कार्यकारी निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई	सदस्य-सचिव

2. उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

i. अर्थव्यवस्था की उच्चतर विकास दर के मद्देनजर, आंकड़ा आधार, आकलन पद्धतियों, विश्वसनीयता तथा व्याख्यात्मक महत्व के संबंध में सकल अर्थव्यवस्था तथा इसके घटकों, दोनों में, अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा राष्ट्रीय बचतों तथा निवेशों के उपलब्ध अनुमानों की आलोचनात्मक समीक्षा करना;

ii. यह जांच करना कि क्या वित्तीय बचतों के अनुमानों में अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रही वित्तीय वृद्धि विधिवत रूप से परिलक्षित हो रही है तथा यदि आवश्यक हो तो सुधार के सुझाव देना;

iii. एकीकृत आय एवं व्यय सर्वेक्षणों के माध्यम से घरेलू बचतों पर प्रत्यक्ष अनुमान लगाने की व्यवहार्यता की जांच करना;

iv. विशुद्ध परिवारों, पारिवारिक उद्यमों तथा गैर निगमित निकायों के सबंध में उपयुक्त पद्धति के माध्यम से पृथक अनुमान तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करना;

v. निवेश की तुलना में फार्म क्षेत्र में बचतों की जांच करना;

vi. यह जांच करना कि क्या कारपोरेट बचत चिह्नित बाजारी आधार पर अथवा वर्तमान बही मूल्य पद्धति के आधार पर तैयार किए जाएं;

vii. कारपोरेट निवेश और बचतों के आकलन में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रक्रियाओं में सुधार का सुझाव देना;

viii. एक तरफ नगरपालिकाओं, शहरी निगमों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय सरकारों के खाते को ध्यान में रखकर सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों तथा निवेश अनुमानों के सुदृढ़ीकरण तथा दूसरी तरफ सार्वजनिक निवेश में आर्थिक निजी भागीदारी की पद्धतियों की सिफारिश करना;

ix. सामग्री प्रवाह पद्धति तथा निधि प्रवाह पद्धति पर आधारित अनुमानों में प्रयुक्त अनुभवजन्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच करना तथा उनमें सुधार का सुझाव देना;

x. अनुमानों की विश्वसनीयता को सुधारने अथवा उनकी वैधता की जांच करने के लिए किसी नए आंकड़ा आधार यदि कोई हो, को विकसित किए जाने/तैयार किए जाने का सुझाव देना;

xi. क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी निर्माण के आकलन में वर्तमान वर्गीकरण की समीक्षा करना और उसमें सुधार का सुझाव देना ।

3. समिति के अध्यक्ष, जैसाकि आवश्यक समझें, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं ।

4. भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा ।

5. समिति के गैर सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, बैठक शुल्क आदि का आहरण संगत नियमों और लागू आदेशों के अनुसार करेंगे तथा इस संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बजट अनुमान के भीतर की जाएगी ।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी व्यय उस मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जिससे वे संबंध रखते हैं ।

7. आशा है कि समिति इस अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी ।

8. इसे बजट एवं वित्त अनुभाग की दिनांक 26.09.2007 की डायरी सं.1276 के माध्यम से वित्तीय सलाहकार (सांख्यिकी) की सहमति से जारी किया जाता है ।

ह0
(अरुण कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
महाप्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद

फा.सं.यू.17014/1/2007-एनएडी-12(एचएलसी)

प्रतिलिपिः-

समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषितः-

1. प्रशा.II तथा रोकड़ एवं लेखा अनुभाग ।
2. बजट एवं वित्त/सामान्य अनुभाग ।
3. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव ।
4. महानिदेशक, सीएसओ के प्रधान निजी सचिव ।
5. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसएसओ के प्रधान निजी सचिव।

ह0
(अरुण कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

APPENDIX-V

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-1, SECTION-1)

*****

Government of India
Ministry of Statistics & Programme Implementation
Central Statistical Organisation

Sardar Patel Bhawan,
Sansad Marg
.New Delhi-110001

NOTIFICATION

No.U-17014/l/2007/NAD-12(HLC) Dated: 26 December, 2007

The Government of India hereby constitutes a High Level Committee on Estimation of Savings and Investments with the following composition:

1	Dr. C. Rangarajan Chairman of the Economic Advisory Council to Prime Minister	Chairman
2	Dr. Kirit Parikh, Member-in-Charge of Perspective Planning Division, Planning Commission	Member
3	Prof. Ravindra Dholakia, IIM, Ahmedabad	Member
4	Dr. S. L. Shetty, EPW Research Foundation, Mumbai	Member
5	Dr. Saumitra Chaudhuri, Member of the Economic Advisory Council to Prime Minister	Member
6	Shri Ramesh Kolli, Additional Director General, National Accounts Division, CSO	Member
7	Dr. R.B. Barman, Executive Director, Reserve Bank of India, Mumbai	Member Secretary

2. The terms of reference of the High Level Committee are as follows:

i. In the light of the higher growth path of the economy, to undertake a critical review of the available estimates of domestic and national savings and investment in the economy, both in the aggregate and its components with

respect to data base, methods of estimation, reliability and interpretational significances

ii. To examine if rapid financial deepening in the economy is getting duly reflected in the estimates of financial savings and suggest improvements, if needed;

iii. To examine the feasibility of directly estimating household savings through integrated income and expenditure surveys;

iv. To examine the feasibility of arriving at separate estimates for pure households, household enterprises and unincorporated bodies through a suitable method;

v. To examine savings in the farm sector in relation to investments;

vi. To examine if corporate savings estimation should be done on marked to market basis or the present book value method;

vii. To suggest improvements in the methods and procedures used in the estimation of corporate investment and savings;

viii. To recommend methods of strengthening public sector savings and investment estimates by taking account of municipalities, city corporations, gram panchayats and other local governments on the one hand and increased private participation in public investments on the other;

ix. To examine the empirical methods and procedures used in the estimates based on commodity-flow-method and flow-of-funds method and suggest improvements therein;

x. To suggest new data bases, if any, to be devised/built-up for improving the reliability or checking validity of the estimates;

xi. To review the existing methodology and suggest improvements in the estimation of capital formation at the regional level.

3. The Chairman of the Committee may co-opt additional members as may be considered necessary.

4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Reserve Bank of India, Mumbai.

5. The non-official members of the committee will draw TA/DA, sitting fee etc. for attending the meetings of the committee in accordance with the relevant rules and orders in force and the expenditure will be met within the budget grant of the CSO, Ministry of Statistics & P.I.

6. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministry/Department/Organisation to which they belong.

7. The Committee is expected to submit its report to the Government within six months from the date of this Notification.

8. This Issues with the concurrence of Financial Adviser (statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 1276 dated 26.09.2007

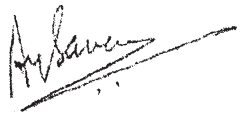

(A. K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt of India

To
The General Manager
Government of India Press
Faridabad (with Hindi version)

F.No. U-17014/1/2007NAD-12(HLC

Copy to:-

Chairman and all members of the Committee.

Copy also to
1. Admn.II and Cash & Accounts Section.
2. Budget & Finance /General Section.
3. PPS to Secretary, Ministry of Statistics & PI.
4. PPS to DG, CSO.
5. PPS to DG & CEO, NSSO

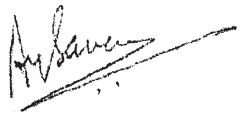

(A. K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt of India